

(H) COMMITTEE ON THE WELFARE
OF SCHEDULED CAST AND
SCHEDULED TRIBES

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar) :
I beg to move :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve a member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri G. G. Swell resigned from the Committee."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from themselves to serve as a member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri G. G. Swell resigned from the Committee."

The Motion was adopted.

12.52 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE
PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. SPEAKER : We shall take up further debate on the President's Address. The Leader of the Opposition has requested that a Member of his Party, Mr. S. K. Patil, wants to leave this afternoon and he might be given a chance to speak earlier. I shall call Seth Govind Das afterwards.

Shri S.K. PATIL (Banaskantha) : Mr. Speaker, I hope there will be some lull after this big storm that we were having in the House.

Speaking of the Presidential Address somebody, I think my friend Mr. Hanuman-

thaiya, described it yesterday as a "unique" address. It is indeed "unique" in this sense that it was so lengthy and yet had such poor contents. This is no reflection on the President. Never before had we an address so rich in length and yet so poor in content. Out of 48 paragraphs, as many as 33 of this Address were devoted to extol the achievements of the Government. The accident of 1970, because this happens to be the year 1970, gave the draftsmen an idea that he should sing some lullabies of the decade that preceded and 34 paragraphs were used for this purpose. There is a saying that you have to speak and write longer when the substance is meagre. I can recall a famous incident of the English Parliament, Lord Macaulay spoke for three hours, and just as my friend Mr. Hanumanthaiya was saying that this was a unique speech, one Member then got up in the Commons and said that it was a wonderful speech. Another Member who was sitting next to him said: what was so wonderful about it? He replied: I do not know: there was no substance in it, but it was so wonderful. If that criterion had to be given to any address aptly, it is to this Address.

The new decade provided an opportunity to sing songs of the old one. It must, however, be remembered that it was a decade—ten years—and the present Government need not arrogate to itself all the good things that might have happened in that decade. I do not know under whose control it is, when the President's Address referred to the fact that the prices are well under control. Whose control, I do not know: whether it is the control of this Government or the control of *kismet*, that is, fate. Such statements need not be made in the President's Address unless they can stand the scrutiny of truth. The spiral of prices is ever rising; so also are the hopes of Government to put it down.

I shall cursorily refer to one or two questions before I come to the main subject and that is, the breakthrough in agriculture. For some years, we have been hearing about the green revolution: how green it is, I do not know. But I am anxious that there should be a green revolution. I have presided over the Ministry for a number of years and nobody would be so happy as

[Shri S.K. Patil]

myself to see that that green revolution has at last come.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : (Balrampur) : Sir, not a single Cabinet Minister is present. How are they behaving ? (*Interruption*)

श्री रवि राय (पुरी) : कल भी यह सवाल उठाया गया था । आप इनको डांटिये । इस इस तरह से कैसे काम चलेगा ।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Let the proceedings be suspended.

SHRI S. K. PATIL : They say there is a breakthrough in agriculture. May I remind them of the remedies that they have undertaken ?

There is one thing of which not even a cursory mention has been made, and that is, crop insurance. Whatever you do in agriculture is bound to fail so long as they do not guarantee to the farmer that he will get something out of the money that he spends on agriculture. This crop insurance is not a new thing. I am quite sure my friend Mr. Shinde who is sitting opposite and who, I know, has the good of the farmer at heart, would just see—and not merely speak about it—that crop insurance of some sort is immediately introduced.

Then, they have promised that there would be commission or committee to study the problems of the sugar industry. Sugar has become too sweet for our political taste. For God's sake, do not use sugar in solving the political difficulties. You will suffer from political diabetes.

The Address has promised the second stage of Bokaro plant. I need not talk about the Bokaro plant. I was in this House and I was sitting opposite and even on the Treasury Benches when this thing was discussed. It is costing us nearly Rs. 500 crores more. While they talk of this second and the third stage, once it is taken up, it has got to be done. There is no doubt about it. But let us not be so very hopeful that you are going to do it

within your means and without raising the prices of steel. If as a result of it the prices rise, then surely you have not done any good to this country and for which you need not take credit at all. But in the name of friendship with Russia, if it has to be done, keep the cost as low as you possibly can.

The Address has also referred to something about the Fourth Plan. The Plan has not yet been submitted to this House. They have promised that very soon it will be done. But here is the opinion of a very great economist, namely, Prof. Northcote Parkinson's law. What does he say about the Plan ? In his humorous way he says that some of his friends gave him a copy of this Fourth Five Year Plan and as he opened the book and lifted the pages he went to sleep because he does not get sleep while in the air. He said that is the use which this Plan can be put to, namely, as a sedative to lull him to sleep. This may be humorous, but this comes from a man who is one of the greatest authorities on economic thought in the world today.

This is the value of your plan.

13 hrs.

There are three things to which I want to draw attention, which are the main things of the Address. The first is bank nationalisation. I do not want to say much about it, but so much hullabaloo is made about it as if it is the eighth or the ninth wonder of the world ! Apart from whatever happened in the Supreme Court and whatever you may do hereafter, for God's sake do not make any claims which are not real. During the period when the Act was not struck down, can you point out any single thing which you did in the interests of the poor which could not have been done in the absence of this nationalisation ? There is a limit to throwing dust into the eyes of the people. There is nothing on earth which you cannot do under social control. If nationalisation was necessary, do it, but for God's sake, do not take all this credit that you have done something so wonderful and for the rest of our life time we must go on singing the song of your praise. That is exactly what is being done.

There is a likelihood that by what you will be doing by nationalising banks and others as the wind is blowing today, you will create such a terrible State capitalism that you will have to suffer the consequences of the bureaucracy and attendant evils which will come with you wherever you go. You will find that the remedy you have evolved in the interest of the poor is no remedy at all and it will do much greater harm than really what you propose to avoid.

Similarly, for the settlement of the Chandigarh issue you have taken some credit as if you have done something wonderful. In the first place, you delayed it so long that you made it useless. There would have been no necessity for Sant Fateh Singh to go on a fast and announce that extreme step of self-immolation if really you had given your judgement whatever it was, even this judgement that you have now given a month before. There was time enough, but you did not do it. Now you are over-simplifying it and you say that everybody is pleased. Who is pleased? Punjab is not pleased. Haryana is not pleased, because there are some conditions to be satisfied.

MR. SPEAKER : Will he conclude in a few minutes or continue after lunch ?

SHRI S. K. PATIL : I will continue after lunch.

MR. SPEAKER : All right. The House stands adjourned for lunch.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Patil may continue his speech.

श्री शारदानन्द (सीतापुर) : मिनिस्टर को तो बुलाइए, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ नहीं है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : The Minister would be here any moment.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : I think they are in the kitchen cabinet. They are boiling something in the kitchen.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the Ministers are coming. Let him continue his speech.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sidar) : Let us promote Shri Raghu Ramaiah. The whole House agrees to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am told that the Ministers are on the way. Shri Patil may continue his speech.

SHRI S. K. PATIL : Before we adjourned for lunch I had referred to the question of Chandigarh. Chandigarh had been mentioned in the President's Address. Government have done one more thing for which I will give them credit. Whether the issue of Chandigarh has been solved or not, they have saved the precious life of Sant Fateh Singh. If they had stopped at that, I would have had nothing more to say. But if they really think that they have solved the dispute about Chandigarh between Punjab and Haryana, and now Himachal Pradesh is also added to this, they are very much mistaken. Because, there are some consequences of the solution of the Chandigarh dispute which are very serious. I do not think in our life time we shall be able to solve that issue, because there are certain guarantees that are given. I do not think Haryana will move from Chandigarh until Fazilka tehsil or whatever part of it has been allotted to her has actually been transferred to her, and I do not think that Punjab will willingly do so. But I do not go in to this question. I do not want any such trouble. If anybody is to be given credit for this situation, it is they because they took so much of time and inordinately delayed the

(M)

(M)

[Shri S. K. Patil]

solution of it. This question was hanging fire for a long time.

Even the notice for self-immolation or the fast was given two or three months in advance. Government had ample time and I do not think what they ultimately did required so much time that they should do it almost on the eve, when the Sant's life was endangered.

Punjab has said that it would not part with any part of Fazilka and if they go on dillydallying with this question, it may be that another fast or self-immolation by Sant Fateh Singh may become necessary.

The Address promises in this particular case a commission to go into the other claims made by Punjab, Harayana and Himachal Pradesh. We are playing with this idea of commissions. These commissions are appointed only to decommission whatever decisions they give. I do not remember a single commission appointed by this Government whose verdict they have honestly and faithfully taken and implemented.

There has been a continuous history of these commissions. First is the States' Reorganisation Commission. Had we stuck to the decisions of this Commission, much of the danger would have been averted. We did not do that. I do not know why we appoint all these commissions—the Shah Commission on the division of Punjab and Mahajan Commission.....(*Interruption*).

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : He was a part and parcel of that party and that Government. Only last November he has come out of that party. How does he explain his conduct ?

SHRI S. K. PATIL : If Government has to change the decisions of these commissions in every case, why appoint the commissions at all and waste the precious time and money of the House and also of the Judges, whether they are of the Supreme Court or of the High Courts ?

Here I want to make a constructive suggestion. I have made it for years together

in the past but it has not been seriously taken. We shall have to live with this business of disputes between one State and another and sometimes between more than one State and another, whether it is a boundary dispute or a capital dispute or a river dispute or any other dispute, for the rest of our life-time and possibly the life-time of many generations to follow. Therefore some kind of final thing has got to be done and that should be regarded as a final verdict just as when anything goes to the court and the Supreme Court gives its opinion, whether right or wrong or whatever it is we respect that decision and there is a finality about it.

My suggestion is that the Government must immediately proceed to amend the Act and introduce one more article that whenever any dispute of whatever character arises between two States or between various States, which cannot ordinarily by simple governmental procedures be solved, if the Central Government or the State Government concerned refer such a matter to the Supreme Court, this would be referred to a special panel appointed by the Chief Justice of the Supreme Court, because it is not only Judge—and the Judges must not be concerned with this State or States concerned—and therefore a panel, and any decision given by the Supreme Court must be regarded as final. I am not talking of one decision or another or of one Commission or another. There can be no solution of this problem until you do what I am recommending. There ought to be finality about it. You cannot go on toying and tinkering with the problem. Whoever may be right and whosoever may be wrong, in a very light way you appoint a commission.

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) : What about the Mahajan Commission ?

SHRI S. K. PATIL : Mahajan Commission is no exception. I do not know whether the hon. Member was in this House then or not but if anybody has fought and fought vigorously against the linguistic division of this country it was myself. Therefore I am not concerned about this or that. I am suggesting a remedy which would apply to all commissions which are to be appointed. Never toy with these

commissions. Never appoint them in a half hearted way. By changing your Constitution you leave it to the Supreme Court in the manner I have suggested. If there is a better method that the Government can find out as to how it should be done, I have no objection.

But surely, most of our time is wasted. There is no State in India today that has not got some kind of a dispute with another State; and more disputes will come, when they know that commissions are appointed and also decommissioned when their recognition question comes. The Prime Minister said the other day that the commission may be appointed, but the final authority is that of the Government and that position cannot change. Then, why appoint the commission at all? I do not quite understand this. It is not for the Prime Minister to decide, after the commission has really given its verdict once in the manner in which I am suggesting. If you do not accept it, then the whole trouble starts, as it has started today. Therefore, Government should take this suggestion very seriously.

Now I come to the princes and their privy purses.....

SHRI ISHAQ SAMBHALI *Rose*—

SHRI S. K. PATIL: My hon. friend will get his privy purse. Let him not worry. There was a loud applause when this was referred to in the President's Address, and I also took part in the applause along with the other people. Lots of things are being said. I hold no brief for anyone for the princes or otherwise. But I am putting the case in another way. Do what you like. But do not forget history. Do not forget the decisions of this august House, whether it be of this House or the Houses that preceded it or the Constituent Assembly.

The Address has shed some tears, crocodile tears and it begins in very sombre tones and says:

"At a critical period in our history, the Princes showed patriotism and

imaginative understanding of the aspirations of the people and made a major contribution to the smooth and peaceful unification of India under a democratic regime. I have every hope that in the same way, they will recognise the social imperatives of the present times, and in the wider interest of the country, once again exhibit a spirit of co-operation and good-will. The concept of rulership, with privy purses and special privileges unrelated to any current functions and social purposes, is incompatible with an egalitarian social order."

It is right. But why do you add insult to injury? Where was it necessary? These are crocodile tears. The princes could have done without them. If you want to chop off their heads chop them off. But why ask them to give you the axe or provide you with the axe? I do not understand this. Clearly, it is adding salt to the wound. You cannot begin by telling the world that they were good boys but Government have decided to abolish the privy purses. The Address says:

"Government have, therefore, decided to abolish the privy purses and privileges of the rulers of the former Indian States, and legislation will be introduced to give effect to this decision. It is, however, our intention to make certain transitional arrangements so that the former rulers may have time to adjust themselves to changed circumstances"

If you really want to finish them off, then do it in the *jhatka* fashion, and do not do it in this way; do not do it in the manner in which you are doing it. Why are you adding insult to injury? I do not understand this. I took some little interest in this case because as a Member of the Constituent Assembly, I was with Sardar Patel when all those negotiations were being carried on. The integration of all the princely States was accomplished in a phenomenally short time. It took a period of not more than two years for all the procedures. I am not talking of the instrument of accession only, but I am talking of the covenant, the merger and their ultimate merger and becoming a part of India.

[Shri S. K. Patil]

The first instrument of accession to maintain the *status quo* in regard to certain matters of common concern was signed in 1947 and all the other processes culminating in the total merger were finished early in 1949. What was really threatening to be balkanisation of this country at one time—and what might have taken many years—was accomplished in a short time. It was left to the genius of no less a person than Sardar Patel to accomplish such a great feat in such a phenomenally short time.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Bury your heads now in sand.

SHRI S. K. PATIL : He out-Bismarcked even Bismarck. This thing had been done in such a short time. Even a person like prince Bismarck, strong as he was, took several years; the country concerned was just small Germany. But here Sardar Patel did it such a phenomenally short time. After twenty years surely we must give credit to the man who brought about this strong unification of this country. What I am asking is this. If it is incompatible now with egalitarian society—I am not deceived by word—was it not incompatible then with the egalitarian society? Was not Pandit Jawaharlal Nehru talking of egalitarian society some twenty years before? Why did you shut your eyes? The founding fathers of the Constitution also knew what egalitarian society was. Why did it become convenient for you to do things at that time, and later on to find fault with it as you are doing now? If you had made a mistake, then say that 'We had made a mistake, but now we have decided to chop off your heads' and come out with the axe and chop them off as quickly as possible.

The total amount of privy purses given originally was Rs. 5.84 crores. The process of scaling down continued, and today the privy purses amount stands at Rs. 4.81 crores. It is interesting to know the distribution of the privy purses according to the amounts that each ruler gets. As many as 90 rulers get Rs. 30,000 or less a year. Another 99 rulers get between Rs. 30,000 and Rs. 1.20 lakhs; 63 rulers get between Rs. 1.20 lakhs; 20 rulers get between Rs. 5 and Rs. 10 lakhs; and there are only five rulers who get above Rs. 10 lakhs.

That apart, there is a case, as you find, so far as the legal and the constitutional aspects of this question of the privy purses are concerned. Under article 363 of our Constitution which was discussed even at that time in the Constituent Assembly and afterwards, it has been provided that no dispute arising out of the covenants and agreements with the rulers at the time of integration or under the articles of the Constitution which were drafted thereafter shall be justiciable.

This proviso was put despite the insistence of the rulers, and it was more in our interest to put it. It was not merely done in the fear that there might come a time that Sardar Patel was visualising when we shall back out of our contractual obligations, but he put it because he thought that they might go to the Supreme Court tomorrow and say that this was done under duress and therefore they were not going to accept it. He had those fears in his mind, and, therefore, he persuaded them and that they should believe in the good faith of the Government and in the promise of the Government that they would never let them down. Therefore, they were persuaded and cajoled into this position. And so, article 363 of the Constitution was drafted. Therefore, this matter has not remained justiciable. The rulers were persuaded to accept this proviso in good faith and in the hope that the agreements and covenants would be observed in letter and spirit. The Constituent Assembly not only endorsed but accepted the guarantees given and incorporated them in the Constitution.

Running away from those contractual obligations solemnly made is tantamount to breach of faith. You have every right and even a fundamental right to commit a breach of faith. But for God's sake, admit that it is a breach of faith, that egalitarian society was not then thought of or even if it was thought of, it was ruled out so that those agreements could be reached. Now, after 20 years you come to this decision and you even do not say that what you did was a mistake, but instead you are saying that the wind has changed? Was it because this Government has come into power that the wind has changed its direction? Was it different when it was made? Therefore, it has to be this way. I am afraid

that there are some other repercussions of this. Leave aside the princes. It raises the question of the value that we should attach to the promises made by responsible Ministers on behalf of the nation and on behalf of the Government. Government is a continuing entity, and the promises made by one Government must be equally acceptable to the successive Governments, so that you cannot come forward and say that then the time was different, but now the time has changed. Why? Is it because some new people have been born into this world and who have shown us new light and, therefore, is it said that this has got to be done?

The immediate consequence of it is that this will affect the credibility of our country in the loan transactions in the international market. Who will believe you? If you set aside one contractual obligation, where is the guarantee that you will not set aside others? Now, you are taking this money mostly from countries that are affluent, because unless they have got money, you cannot take it. Even the USSR is affluent in that respect. But tomorrow, you may say that the egalitarian society requires that anything that is taken from an affluent country should be written off and you are under no obligation to pay it back. Therefore, you can understand that your rating in the world market will be of no value. They will think that way. If the nation or the government does not think it proper to obey the obligations that they have seriously entered into, I do not know who is going to trust their words. Therefore, all these things have been taken as if these bring credit to the Government. I would urge that by persuasion they could have done it. Why this delay? For nearly two years you have been calling them. What have you done? Have you tried to go near them? Have you tried to say that there is some other method by which it could be done, say, that big purses, over a lakh of five lakh rupees will be subjected to income-tax or any other thing that you might do? "You never did it. You took the time and now you come back and say, "You were such nice boys 20 years back and equally now you become nice and cooperate with us, give us all your cooperation and goodwill so that you do not feel the pinch when your heads are chopped off." I leave the subject there.

During the last seven or eight months, what has been happening in this country? A volcanic eruption. Something is daily happening in the country. There is a political crisis everywhere in the country, in every state, and even in the Central Government. I do not go into who is wrong and who is right. I am not suggesting that. But the normal life of the country has been violently disturbed. I do not know. Something has happened. Eruption of political volcano is violently shaking the very foundations of our democracy. That is exactly what has happened. A new love for the poor was born as if by an immaculate conception, as if there were no poor before—the poor were there all the time—as if they were invented in mid-July, 1969 all of a sudden. There is the talk of the poor, the poor and the poor. Were they not there before? I would say, they are not the creation of Mrs. Gandhi. They were there all the time. I do not think that in the name of the poor, you should try to do something as if a new wind has come. The wind will carry not only the poor away but even the members of the Government away.

Now, you are only throwing slogans at them. What the poor should eat? Not the bread; where the poor should live? Not in the houses; but only slogans, excellent slogans, brand new slogans. If there is an international prize game from all parts of the world in slogan-mongering, I should think, year after year, India would win. The poor were not waiting for slogans which are flung at them day in and day out.

It was believed that democracy, secularism and socialism were the three granite pillars of free India. Everybody believes it. I believe in that order, democracy first, secularism next and socialism. They are the three granite pillars. Mrs. Gandhi in her anxiety to appear 'Holier than Thou' has given another brand of socialism. God alone knows. If Karl Marx were to rise from his grave, I think, possibly he will commit suicide when he hears about the new brand socialism that the Prime Minister has invented. A new definition has been given. It is a new brand of socialism sacrificing democracy at its altar.

[Shri S. K. Patil]

What is happening today is that the country is being forced into negation of democracy. The foundations of democracy are systematically being weakened brick by brick and you will find, if this tendency is not checked, there will be no democracy in this country. Therefore, that is exactly what we are concerned with and not what is wrong and what is right and who is wrong and who is right.

Then, topping of governments not tocing the Indicate line has become the sport of the new socialists as if the first article of socialism is that what you do not like must be toppled. Even the democratic governments must be toppled by undemocratic methods. Gross misuse of power, patronage and money that flows like floods of the Brahmaputra is the order of the day. Where from it comes I do not know. I do not think there is any river in the world which has got floods like that of the Brahmaputra river. Why not have it in the Fourth Five Year Plan, all this money that is going in toppling the governments ?

The imperative task of everyone who has the good of the country at heart—and everybody has the good of the country at heart—is the defence of democracy at any cost. Contempt of authority and even the contempt of independence of judiciary is being systematically encouraged by those who have the reins of government in their hands. If this process continues unchecked—I want to end, Mr. Deputy Speaker—the consequences are bound to be disastrous. I warn the Government in the words of Mark Twain : "That the only funeral you must necessarily attend is your own."

डा. गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव आपके सामने श्री हनुमन्तय्या जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़े ध्यान से कल के भाषणों को भी सुना और आज के भाषणों को भी सुना। इन भाषणों में जो कुछ कहा गया उनमें अधिकांश में इतनी कटुता थी कि जिसका मुझे गत 54 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं हुआ। और जब मैं देखता हूँ कि सरकार की आलोचना और सरकार पर दोष वे

ही लोग देते हैं अधिकतर जो कि कुछ समय पहले सरकार में थे तब मुझे और भी आश्चर्य होता है। जिस समय वे सरकार में थे उस समय उन्होंने क्यों इन सब बातों को नहीं देखा और आज वे इन सब बातों को क्यों देख रहे हैं ?

मैं ने एक बात और देखी कि हमारा सारा ध्यान भौतिकता में केन्द्रित हो गया है। राष्ट्र-पति के भाषण में भी सब कुछ भौतिकता है। हमारी जो चौथी योजना आने वाली है उस पर भी यदि ध्यान दिया जाय तो सब कुछ भौतिकता ही दृष्टिगोचर होती है। यह हमारे निर्माण का काल है और इस काल में निर्माण दो प्रकार का हो रहा है—एक भौतिक निर्माण और दूसरा नयी पीढ़ी का निर्माण। भौतिक निर्माण में चाहे हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली हो लेकिन जहाँ तक नयी पीढ़ी के निर्माण का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति वही है जो कि स्वराज्य के पहले थी। हमने अपने संविधान में धर्म निरपेक्षता का एक सिद्धांत रखा है। मैं धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं हूँ। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति शायद धर्म निरपेक्षता पर ही अवलंबित रही है लेकिन अंग्रेजों का जो शब्द सेव्यूलर है वह हमारे धर्म निरपेक्षता के अनुकूल नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ धर्म निरपेक्षता रही—एक ओर वैदिक धर्म, दूसरी ओर जैन धर्म, बौद्ध धर्म पनपते रहे। हमारे यहाँ पूरी तौर से धर्म निरपेक्षता थी। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा हमारी धर्म निरपेक्षता अंग्रेजी शब्द सेव्यूलर के अर्थ के अनुसार नहीं थी। धर्म शब्द हमारे यहाँ अत्यंत व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है लेकिन उसका जो अनुवाद—रेलिजन और मजहब किया जाता है वह गलत अनुवाद है। धर्म का अर्थ बड़ा व्यापक है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमारे यहाँ जो धर्म का अर्थ प्रयुक्त होता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज हमारे यहाँ धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ लगा है ? आज हमने रामायण, गीता सद्श्य ग्रन्थों का प्रचार आकाशवाणी और दूसरे प्रकार से रोक दिया है। क्या यह

सच्ची धर्मनिरपेक्षता है ? रामायण, गीता— ये धर्मग्रंथों के शब्द रेलिजन और उरदू के शब्द मजहब के अन्तर्गत नहीं आते बल्कि ये हमारे धर्म शब्द के अन्तर्गत आते हैं। मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा में जब तक धर्म का समावेश नहीं होगा तब तक आप नयी पीढ़ी का ठीक तौर से निर्माण नहीं कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी श्रीयुक्त श्री प्रकाश उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी की रिपोर्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में अन्त में कहा गया है कि :

As we close we are bound to say that the many ills that our world of education and our society as a whole is suffering today resulting in widespread disturbance and dislocation of life are mainly due to the gradual disappearance of the hold of the basic principles of religion on the hearts of the people.

आप आये दिन हिंसात्मक उपद्रवों को देखते हैं। क्या कारण है उनका। उनका कारण यह है कि हम ने धर्म का आश्रय छोड़ दिया है।

मैं भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि गाँधीजी ने भौतिक उन्नति और अध्यात्मिक उन्नति दोनों का समिश्रण किया था। उन्होंने स्वतन्त्र भारत का इस प्रकार का नक्शा खींचा था जिस में अध्यात्मिक नींव पर भौतिक भवन खड़ा हुआ था। हम ने वह सब छोड़ दिया। हमारे भौतिक दृष्टिकोण के कारण ही आज के षाप घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि मौजूद है। आज वैसे का स्थान ईश्वर से ऊपर हो गया है। ईश्वर के सम्बन्ध में दो मत हैं। कुछ लोग आस्तिक हैं और कुछ लोग नास्तिक हैं। वैसे के मामले में कोई नास्तिक नहीं है। सब आस्तिक हैं। यदि हमने इसी प्रकार का आदर्श अपने सामने रक्खा और अभिभूत और

अध्यात्मिक का उचित समिश्रण नहीं किया तो हमारी नई पीढ़ी का ज़ंसा निर्माण होना चाहिए वह होने वाला नहीं है।

अब मैं उन दो विषयों की ओर आता हूँ जिनपर मैं आज 48 वर्षों से—मैं 48 वर्षों से केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में रहा हूँ— रहा हूँ और इन दो विषयों पर तब तक बोलता रहूँगा जब तक मेरे सन्तोष के माफिक इन विषयों का हल नहीं हो जायेगा या मैं इस दुनिया से नहीं चला जाऊँगा। स्वराज्य के बाद इन दो विषयों का महत्व बहुत बढ़ गया है। पहले प्रश्न है भाषा का और दूसरा प्रश्न है गो-रक्षा का। लोग कहा करते हैं मुझ से कि आप ने भाषा और गोरक्षा को क्यों मिलाया। मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों का आपस में जितना सम्बन्ध है उतना किसी दूसरी चीज का नहीं है। भाषा का हमारे मस्तिष्क से है और गोरक्षा का हमारे शरीर से सम्बन्ध है। यदि शरीर नहीं है तो मस्तिष्क बेकार है और यदि मस्तिष्क नहीं है तो शरीर बेकार है। इसलिये भाषा और गोरक्षा दोनों का आपस में निकट से निकट सम्बन्ध है। दोनों के बारे में सरकार ने अब तक जो कुछ किया है व सन्तोषजनक नहीं है।

भाषा का प्रश्न मैं सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानता हूँ इस का कारण आप को बतलाता हूँ। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है क्या कभी आप ने यह सोचा है ? निःसर्ग ने जो ज्ञान की शक्ति मनुष्य को दी है वह किसी दूसरे प्राणी को नहीं। उस ज्ञान की शक्ति का मुख्य आधार भाषा है। जिस प्रकार की भाषा मानव बोलता है अन्य कोई जीव नहीं बोलता। इस लिये भाषा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं भाषा की बात कहता हूँ तो केवल हिन्दी की बात नहीं कहता। जब हिन्दी की बात कहता हूँ तो तामिल की बात भी कहता हूँ, तलगू की बात कहता हूँ, मलयालम की की बात

[डा० गोविन्द दास]

कहता हूँ, कन्नड़ की बात कहता हूँ, बंगला की बात कहता हूँ, गुजराती की बात कहता हूँ, मराठी की बात कहता हूँ, सब भारतीय भाषाओं की बात कहता हूँ, मैं अंग्रेजी का भी विरोधी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा साहित्यकार हूँ। कोई भी साहित्यकार सरस्वती के किसी रूप का विरोधी नहीं हो सकता। अंग्रेजी भी सरस्वती का स्वरूप है, लेकिन हर चीज की अपनी अपनी जगह होती है। गाँधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज मेरे मित्र हैं, लेकिन सात समुद्र पार से आये हुए मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश के ऊपर राज्य करें यह अस्वाभाविक बात है। इस लिए अंग्रेजों का मित्र होते हुए भी मैं चहता हूँ कि अंग्रेजी राज्य जाय। वही बात मैं अंग्रेजी भाषा के लिए कहता हूँ। अंग्रेजी भाषा बड़ी अच्छी भाषा है, बड़ी विकसित भाषा है। जो उसे पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन अंग्रेजी भाषा जिस को पीने दो सी वर्षों के अंग्रेजी राज्य के बाद भी इस देश के 2 प्रतिशत लोग नहीं समझते, वह भाषा इस देश पर छापी रहे यह अस्वाभाविक बात है। जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य गया उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भी जानी चाहिये।

संविधान सभा में हमने हिन्दी को राजभाषा के पद पर सर्वमत से स्थापित किया। मैं संविधान सभा का सदस्य था मुझे आश्चर्य होता है, अब तक कुछ अंग्रेजी पत्र और अंग्रेजी समर्थक कहते जा रहे हैं कि संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा पद पर केवल एक सदस्य के बहुमत से ही रक्खा गया था। यह तो एक ऐसी बात है जिसको आप संविधान सभा की छपी हुई कार्यवाही में देख सकते हैं, और देखिए आप कि संविधान सभा में हिन्दी को सर्वमत से राजभाषा के पद पर बिठलाया गया था या नहीं। फिर हिन्दी अंग्रेजी का स्थान पन्द्रह वर्षों में ले लेगी यह निर्णय भी संविधान सभा में अहिन्दी भाषा-

भासी लोगों के आग्रह से हुआ था। संविधान सभा में बहुमत अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों का था और उनके रुख के कारण हमें लगता था कि पन्द्रह वर्षों में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। सरकार ने यदि इन पन्द्रह वर्षों में प्रयत्न किया होता तो अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले लेती। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया। इसके बावजूद सन् 1963 और 1967 में कानून पास हुए कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी चल सकती है, मगर अभी भी अंग्रेजी चल रही है। संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ हम लोग लेते हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार के सब कामों के हिन्दी में होने का अर्थ इस संविधान की धाराओं को तोड़ना है जिस के प्रति हम वफादार होने की शपथ लेते हैं। अंग्रेजी चले लेकिन हिन्दी के साथ चले, मगर अज अंग्रेजी घड़ाके से चल रही है, हिन्दी का कोई स्थान नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक आलोचना नहीं करता, मैं सदा रचनात्मक आलोचना करना चाहता हूँ। मैं आप के सामने हिन्दी के संबंध में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। मुझे हर्ष है इस बात का कि हमारे शिक्षा मंत्री मौजूद हैं और वह विशेष रूप से इन बातों को नोट करेंगे। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सारी भारतीय भाषाओं को, केवल हिन्दी को नहीं, वैकल्पिक स्थान दिया जाये। अभी कहा जाता है कि दो विषयों में हमने हिन्दी और भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक स्वरूप दिया है। इससे काम नहीं चलेगा। आज क्या स्थिति है? हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में 85 फी सदी विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से अपनी परीक्षाएँ पास करते हैं। अब हिन्दी माध्यम से जो अपनी परीक्षाएँ पास करें यदि वह लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में

बैठे और उनका माध्यम हो अंग्रेजी, तो उससे काम नहीं चलेगा। लोक सेवा परीक्षाओं के लिये हमको कम से कम एक निश्चित समय मुकर्रर करना चाहिए जिस के भीतर लोक सेवा आयोग की सारे विषयों की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी और भारतीय भाषायें हो जायेंगी।

श्री प्र. के. देव : उड़ीसा में उड़िया स्कूल बन्द कर दिए गए, हिन्दी के जारी कर दिये गये।

डा० गोविन्द दास : दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषी राज्यों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से केन्द्रीय सरकार को अपना सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में करना चाहिये। सरकार यह तो कहती है कि जो पत्र हिन्दी में आते हैं उन का उत्तर उसकी ओर से हिन्दी में दिया जाता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहां से भी इन राज्यों को जो पत्र आये वे हिन्दी में जाँ और पूरा पत्र-व्यवहार जो इन राज्यों से केन्द्र का हो वह हिन्दी में होना चाहिये।

तीसरी बात यह कि संसद में जितने हमारे हिन्दी भाषी मंत्री हैं, वे कम ज़े कम अपने आधे भाषण हिन्दी में दिया करें। हमारे यहां पर तुरंत अनुवाद की व्यवस्था है। हिन्दी के भाषण अंग्रेजी में अनुदित होते हैं और अंग्रेजी के भाषण हिन्दी में अनुदित होते हैं। यदि यह कहा जाय कि सदन में कुछ लोग हिन्दी नहीं समझते हैं, तो जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते उनकी संख्या हिन्दी न समझने वालों से अधिक है। फिर तुरंत अनुवाद की व्यवस्था होने पर भी हमारे हिन्दी-भाषी मंत्रिगण हिन्दी में अपने आधे भाषण न दें तो यह हिन्दी की प्रतिष्ठित करना नहीं हुआ। पंडित जबाहर लाल जी की हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि अगर किसी विषय पर उन्हें दो भाषण देने होते थे, विशेष कर वैदेशिक मामलों में,

तो वह एक भाषण हिन्दी में देते थे और दूसरा अंग्रेजी में। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि हमारे मंत्रियों के आधे भाषण हिन्दी में होने चाहियें।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हमारी प्रधान मंत्री ने बैंकों को लिखा है कि उनका काम हिन्दी में भी चले। लेकिन केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। उन के पीछे पड़ना होगा, जिसको अंग्रेजी में फालो-अप करना कहते हैं। जब तक वह नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं चलेगा।

जहाँ तक केन्द्रीय कर्मचारियों का संबंध है ने जिस राज्य में भी काम करते हों, वहाँ की भाषा का भी उनको ज्ञान होना चाहिये। जहाँ तक उन केन्द्रीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है जो दिल्ली में ही हमेशा रहते हैं उन को तो हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना ही चाहिये।

एक बात के लिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने साहित्य निर्माण के लिए हर राज्य को एक-एक करोड़ रुपया दिया है। यह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जहाँ तक हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या पांच है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इन राज्यों के लिए कुछ व्यवस्था बननी चाहिये ताकि दुप्ली-केशन न हो। इसके लिए एक कोओर्डिनेटिंग कमिटी बन सकती है। किसी विषय पर मौलिक ग्रन्थ तो एक से अधिक लिखे जा सकते हैं लेकिन अनुवाद किसी ग्रन्थ का यदि एक से अधिक हुआ तो वह निरर्थक होगा। इसलिए इस प्रकार की एक समिति बननी चाहिए कि इन पांच राज्यों में वह इस अनुवाद के मामलों को तय कर सकें। इतना काम भी यदि हो जाए तो कम से कम मुझे सन्तोष हो जाएगा, यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसको केन्द्रीय सरकार स्वीकार न करती हो।

[डा० गौविन्द दास]

अब मैं गोरक्षा की बात कहना चाहता हूँ। 5 जनवरी 1967 को इस सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति हुई थी। प्रधान मंत्री जी ने तब कहा था :

“सरकार ने एक ऐसी कमेटी स्थापित करने का निर्णय किया है, जिस में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ होंगे। यह कमेटी गोरक्षा के प्रश्न पर विचार करेगी। यह कमेटी गोरक्षा महाभियान समिति के सब मुद्दों पर विचार करेगी और सर्वधानिक, कानूनी, आर्थिक एवं ग्रन्थ पहलुओं पर विचार कर अपने सुझाव सरकार के विचारार्थ भेजेगी। इन विचारणीय विषयों में एक विषय सम्पूर्ण गौवंश की हत्या को बन्द करने का भी होगा”।

उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने दो जून को प्रो० राम सिंह को अपने पत्र में यह लिखा था। मुझे खेद है कि श्री जगजीवन राम जो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं :

“भारत सरकार के 5 जनवरी के गौहत्या के प्रतिबन्ध के बारे में दिये गये सार्वजनिक वक्तव्य और 1 फरवरी को सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति को भेजे गये विशेष वक्तव्य के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाय जो गौहत्या बन्दी के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार करे”।

अपने पत्र में आगे उन्होंने कहा था :

“यह समिति सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के तथा अन्धों के सुझावों के अनुसार गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विचार करेगी और दूसरे तथ्यों पर अर्थात् सर्वधानिक, कानूनी, आर्थिक एवं अन्य संबन्धित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार को गो, बछड़े, सांड तथा बिल की रक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठाने के लिए सिफा-

रिशें भेजेगी। यह समिति संविधान के अनुच्छेद 48 के पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के उपायों के बारे में अपनी सलाह देगी और इस सलाह पर भी विचार करेगी कि गौवंश एवं गौवंश की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। समिति अपनी कार्य पद्धति पर भी विचार करेगी और छः महिने के अन्दर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित करेगी।”

आप देखिये कि इस समिति को बने हुए कितना समय हो गया, वर्षों बीत गए, छः महिने की बात तो अलग रही। साथ ही इस समिति के कार्य करने का जो तरीका रहा और जो इसका रवैया रहा वह कुछ इस प्रकार का रहा कि गोरक्षा महाभियान समिति के तीन सदस्य जो थे, उनको इस्तीफा देना पड़ गया।

इसके बाद फिर कृषि मंत्री जी ने तीन नवम्बर 1969 को जगदगुरु शंकराचार्य जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में भी उन्होंने यही बातें कहीं, इन्हीं, बातों को दोहराया और अपने वक्तव्यों को दोहराया। इस पत्र में उन्होंने लिखा :

आपके पत्र के समस्त प्रश्नों पर, मैंने अपने विचार दिनांक 8-1-69 और 14-5-69 के पत्रों में प्रकट किये थे। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित निर्देशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मैं पुनः यह कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी क्रियान्विति के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और सरकार की इच्छा किसी भी स्थिति में 5 जनवरी 1967 और 1 फरवरी 1967 के अपने सार्वजनिक वक्तव्यों से तनिक भी पीछे हटने की नहीं है।”

उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना कि वे सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके

अनुसार कम से कम गौबध जिन राज्यों में बन्द नहीं हुआ है, उन में उसी वन्द कराने का प्रयत्न करेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी को कुछ लिखा भी नहीं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें पूर्ण संतोष तभी होगा जब संपूर्ण रूप से गौहत्या बन्द हो। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, तब तक कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए जिन राज्यों में अभी तक गौबध चल रहा है, उन राज्यों को आपको निर्देश तो देना चाहिये, इतना तो कम से कम आपको करना चाहिये। मुझे विश्वास है इस सम्बन्ध में आप निश्चित वक्तव्य अवश्य दे देंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही बहस के दौरान ही हमारे कृषि मंत्री जी इस वक्तव्य को दोहरायेंगे कि जिन राज्यों में गौबध बन्द नहीं हुआ है उन राज्यों में गौबध बंदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तुरंत की जायेगी। बम्बई और कलकत्ता में आप देखें कि क्या हालत हो रही है। वहां अच्छी से अच्छी गाँवें, अच्छे से अच्छे बड़ड़े बेचारे मारे जा रहे हैं और ऐसा हत्याकाण्ड हो रहा है कि जिस को देख कर किसी को भी खेद हुए बिना नहीं रहेगा।

अपने इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन में मैंने अनुभव के आधार पर तीन बातें निश्चित की हैं। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन काम में आनकी निष्ठा होनी चाहिये। निष्ठा नहीं है तो वह काम आप नहीं कर सकते। निष्ठा जब आपने उत्पन्न कर ली तो उस निष्ठा के अनुसार आप योजना नहीं बनायेंगे तो काम नहीं हो सकेगा। निष्ठा के बाद योजना आती है और योजना के बाद उस काम को करने की लगन आती है। निष्ठा, योजना और लगन ये तीन बातें किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आवश्यक होती है। भारतीय संस्कृति के प्रति, हिन्दी के प्रति, गौरक्षा के प्रति, इन सब बातों के प्रति हमारी

सरकार की न तो निष्ठा है, न इन कामों को करने के लिए कोई योजना है और न ही कोई लगन है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो भौतिक उन्नति से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। भौतिक बातें तो हल हो रही हैं, होंगी, लेकिन भौतिक चीजों में ही हम फंसे रहेंगे और अध्यात्मिक चीजों की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे, संस्कृति की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे, हिन्दी की ओर, गौरक्षा की ओर तथा इस तरह की दूसरी बातों की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका तो मैं समर्थन करता हूँ लेकिन साथ-साथ आशा भी करता हूँ कि जो सुभाष में ने पेश किये हैं, उन पर सरकार ध्यान देगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मुझे खुशी है कि श्री हनुमन्तय्या सदन में विराजमान हैं कल उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रपति जी के परिभाषण को असाधारण कहा था। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि किस अर्थ में उन्होंने अभिभाषण को असाधारण कहा था। लेकिन एक बात साफ है कि राष्ट्रपति जी के केवल इस अभिभाषण को असाधारण कह कर श्री हनुमन्तय्या ने यह मान लिया है कि राष्ट्रपति के अब तक जो भी अभिभाषण हुए हैं वे नितान्त साधारण थे।

राष्ट्रपति वही हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने वाली सरकार भी वही है, उस सरकार की प्रधान मंत्री भी वही हैं। फिर यह भाषण असाधारण कैसे हो गया? एक कारण मुझे जरूर दिखाई देता है कि सत्तारूढ़ दल में विभाजन के बाद यह भाषण दिया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को फिर से कोई असाधारण भाषण देना होगा, तो सत्तारूढ़ दल का फिर एक नया विभाजन करना होगा?

सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति महोदय का

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अभिभाषण अयथार्थवादी है। वह देश की दशा का अपूर्ण, अवास्तविक, एकांगी तथा कुछ मात्रा में विकृत चित्र पेश करता है। उन के अभिभाषण से लगता है मानों देश की वाटिका में सब कुछ सुहावना, सुन्दर और समधुर है। लेकिन परिस्थिति इस के प्रतिकूल है।

राष्ट्रपति जी कहते हैं कि देश "गतिमान हो गया है।" उन्होंने यह भी कहा है कि "लोगों में बड़ी ताकत आई है और जोग पैदा हुआ है। विचार, रूढ़ और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है।" राष्ट्रपति जी जिसे गतिशीलता कहते हैं, वह अराजकता का आरम्भ मात्र है। लोगों में कैसी ताकत आई है, यह हमने पंजाब और हरियाणा में देखा। पंजाब में गणराज्य के पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और हरियाणा में गुच्छारों को भग्न और झूट किया गया। लोगों में कैसा जोश पैदा हुआ है, यह चौधरी रणधीर सिंह से पूछना चाहिए—जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, जिन का मकान ध्वस्त कर दिया गया।

पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या वह लोगों के जोश और उत्साह का प्रमाण है? राजनैतिक हत्याएँ, महिलाओं का अपमान, न्यायपालिका की अवहेलना, पुलिस की निष्क्रियता, उपकुलपतियों का घेराव, रेलवे स्टेशनों पर हमले, छात्रों की उद्‌डता—यदि ये जोश के लक्षण हैं, तो देश को जोश की जरूरत नहीं है, होश की जरूरत है।

प्रधान मंत्री ने कलकत्ता के अपने एक भाषण में कहा था : "फ्रस्ट्रेशन लीड्ज टु प्राग्रेशन।" यह एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन है। अगर फ्रस्ट्रेशन से प्रोग्रेशन होती है, तब तो अधिकाधिक प्रगति करने के लिए अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक फ्रस्ट्रेटिड बनाना होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधान मंत्री के इस नये सिद्धान्त की झलक दिखाई देती है।

अभिभाषण में कहा गया है कि देश में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे लोक तंत्रीय ढांचे के अन्तर्गत हो रहे हैं। लोकतंत्र केवल ढांचा नहीं है; लोकतंत्र एक प्राण भी है, एक भावना भी है। कब कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि पिछले सात आठ महीनों में देश में लोकतंत्र दुर्बल हुआ है? लोकतंत्र केवल जोड़-तोड़ के आधार पर बहुमत बना कर जैसे-तैसे चलने वाली सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र सोचने, आचरण करने, व्यवहार करने, और जीवन बिताने का एक तरीका है। लोकतंत्र मर्यादाओं और परम्पराओं के आधार पर चलता है। आज मर्यादाएँ टूट रही हैं, परम्पराएँ उपहास का विषय बनाई जा रही हैं, अनुशासनहीनता अलं-कृत की गई है, अमर्यादित आचरण पुरस्कृत किया जा रहा है, विश्वासघात की पूजा हो रही है और सत्ता के संघर्ष में साधनों की पवित्रता ताक पर रख दी गई है।

हाल में उत्तर प्रदेश में एक एक विधायक को खरीदने के लिए पचास पचास हजार रुपये की बोली लगाई गई। यह बोली किसने लगाई, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद के लिये इशारा काफी है और प्रधान मंत्री और उन के समर्थक काफी अक्लमंद हैं।

बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश में न्यायपालिका को जनता की दृष्टि में गिराने का जो योजनाबद्ध प्रयास हुआ है, वह लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। अन्य मामलों की तरह से प्रधान मंत्री ने न्याय पालिका की प्रतिष्ठा पर आघात करने के इस अभियान में भी नेतृत्व किया है। इन्दौर में श्रीमती गाँधी ने कहा—मैं उन के शब्दों को उद्धृत कर रही हूँ :

"It shows what obstacles are placed in the way of those who want to bring about any change and do something new."

संक्षेप में उन का अभिप्राय यह था कि सर्वोच्च न्यायालय प्रगति के मार्ग में रोड़ा है। प्रगति क्या है, क्या नहीं है, इस का निर्णय संसद् करेगी। लेकिन प्रगति के आधार पर उठाये गये कदम संविधान के अन्तर्गत हैं या नहीं, इस का फ़ैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं हो सकते। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णयों से बचना चाहते हैं, तो कानून बनाते हुए हमें अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। लेकिन अपनी जल्दबाजी के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दोष देना न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने का तरीका नहीं है।

जब एक बार प्रधान मंत्री ने न्यायपालिका के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, तो फिर श्री खाडिलकार क्यों पीछे रहते ? उन्होंने कहा— मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ :

"Such judgments do not enhance the prestige of the judiciary."

सांकी पांजा की तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक पनचक्की समझ कर अपनी जुबान की तलवार चलाते हुए श्री खाडिलकार ने कहा :

"Such judgments will be treated with more and more contempt by ordinary people."

क्या किसी राज्य मंत्री को इस तरह का भाषणकरना चाहिए ? क्या यह न्यायपालिका की श्रवहेलना करने का प्रयास नहीं है ? जिन्हें जिम्मेदार व्यक्ति समझा जाता है, वे अगर इस तरह के गैर-जिम्मेदार भाषण देंगे, तो फिर जनसाधारण को संयम में कैसे रखा जा सकता है ?

उत्तर प्रदेश में बैंक कर्मचारियों के एक तथा-कथित नेता ने कहा— मैं उन के शब्द उद्धृतकर रहा हूँ :

"We shall not guarantee peace in the bank industry until the entire banking industry was declared under the public sector."

न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयत्नों में यदि उन तत्वों का हाथ हो, जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, या जो संविधान को भीतर से तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री और उन के समर्थक जब न्यायपालिका को गिराने का प्रयत्न करते हैं, तो लोकतंत्र के भविष्य के सम्बन्ध में स्वभाविक आशंका पैदा होती है।

किन्तु यह पहला ही अवसर नहीं है, जब प्रधान मंत्री ने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अपनी अनावश्यक अधीरता प्रकट की है। पहले वह सविस्मय के कमिडिट होने की बात कह चुकी है। क्या अर्थ है सविस्मय के कमिडिट होने का ? क्या दल और सरकार के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं रहनी चाहिए ? क्या प्रधान मंत्री उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना चाहती हैं ? यदि वह उस का उल्लंघन करना चाहती हैं, तो फिर लोकतंत्र की सीता की रक्षा नहीं की जा सकती। क्या सविस्मय की कमिडिट का मतलब यह है कि अधिकारी अपनी बुद्धि, अपने तथ्य और अपने विवेक को ताक पर रख दें और प्रधान मंत्री की हां में हां मिलायें ?

यह ठीक है कि संसद् जो भी निर्णय करेगी, वह निर्णय हमारे अधिकारियों को निष्ठा के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। लेकिन जब तक निर्णय नहीं होते, तब तक अधिकारियों को इस बात की छूट होगी या नहीं कि वे अपनी राय निर्भरता और स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सकें ? किन्तु देश में आज एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है मानों मतभेद प्रकट करना एक गुनाह है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका नहीं है।

लोकतंत्र का एक आधार है प्रेस की स्वतंत्रता प्रधान मंत्री प्रेस की स्वतंत्रता को भी पसन्द नहीं करती। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कुछ समाचारपत्रों में काम करने वाले संपादकों और

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

संवाददाताओं को बुलाया और इस बात की शिकायत की कि बम्बई अधिवेशन की ठीक तरह से पब्लिसिटी नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपके मालकों को बुला कर दस मिनट में आप को ठीक कर सकती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पत्रों में प्रधान मंत्री के भाषण और उन की तस्वीरों जितना स्थान लेती हैं उतना स्थान दुनिया के किसी लोकतन्त्रवादी देश के प्रधान मंत्री को नहीं मिलता। फिर भी प्रधान मंत्री उस से संतुष्ट नहीं हैं। शायद वह चाहती हैं—एकोहें द्वितीयो-नास्ति। एक मैं हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। मेरे समान कौन है? यह भावना तानाशाही को जन्म देती है। प्रधान मंत्री को इस भावना के प्रति सावधान रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि बैंकों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उस से एक नई और नाजुक परिस्थिति पैदा हो गई है। उस परिस्थिति पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। यदि सार्वजनिक हित के लिए हम किसी सम्पत्ति को या किसी उद्योग को लेने का निर्णय करते हैं और उस के अधिग्रहण के बदले में हमें उतना मुआवजा देना पड़ता है जितना सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो फिर उस सम्पत्ति को लेने का उद्देश्य ही विफल हो जायगा। उत्तरप्रदेश में हम ने जमींदारी उन्मूलन किया तो मेरे दल ने कहा था कि जमींदारों को केवल पुनर्वास के लिए सहायता मिलनी चाहिए। जमींदारों को काई भी दिये गये थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने देश को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दिया जिस स्थिति में हम 1964 में थे.....

श्री शशीभूषण (खारगोन) : 1946।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1946 में? धन्य हो, वाजपेयी जी महाराज। उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा तरीका निकालना होगा कि जिस से व्यक्तिगत सम्पत्ति को सार्वजनिक हित

में लेने के कार्य को वित्तीय दृष्टि से सुगम बना सकें किन्तु उसके लिए मैं मूल अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को निकालने के खिलाफ हूँ। संविधान के निर्माताओं ने मूल अधिकारों को समझ बूझ कर रखा था। सम्पत्ति संबंधी अधिकार को मूल अधिकारों में से निकालने का अर्थ होगा आम आदमियों, विशेषतः गरीब किसानों को जिन की प्रति वर्ष लाखों एकड़ जमीन उद्योग और नगरों के विकास के लिए ली जाती है सरकार की मनमानी पर छोड़ देना। प्रश्न केवल मुट्ठी भर धन-कुवरों का नहीं है। प्रश्न करोड़ों साधारण आदमियों का भी है।

मैं मानता हूँ सम्पत्ति का अधिकार समाज-सापेक्ष होता है। परिस्थितियों के अनुसार सम्पत्ति के अधिकार पर मर्यादाएँ लगाई जाती हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जिन बातों को ध्यान में रख कर सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा था आज उन में कोई मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालने के प्रश्न पर दो भाषाओं में बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री जगजीवन राम जी ने कहा कि हम सम्पत्ति का अधिकार छीनना नहीं चाहते हैं। लेकिन कल श्रीमती सावित्री श्याम ने कहा कि संविधान में से यह अधिकार निकाल देना चाहिए। श्री जगजीवन राम और श्रीमती सावित्री श्याम-राम और श्याम की यह जोड़ी अलग अलग स्वरों में बोले यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी मांग है कि सम्पत्ति संबंधी अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालने के प्रश्न पर सरकार जनमत-संग्रह करे। यह संविधान में एक मौलिक परिवर्तन की बात है। देश का जन-जीवन इस से प्रभावित होगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय करने से पहले इस सवाल पर जनता की राय ली जानी चाहिए।

15 hrs.

एक माननीय सदस्य : पार्लियामेंट क्या है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : पार्लियामेंट क्या है, मैं इस की भी चर्चा करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मूलभूत अधिकारों को न तो कम किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। मेरे मित्र श्री नाथ पे एक विधेयक पेश कर के संसद के उस अधिकार की पुनः स्थापना करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि उन का विधेयक उस उद्देश्य की पूर्ण नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तब तक कायम रहेगा जब तक स्वयं न्यायालय उस निर्णय को किसी मामले में बदल न दे।

यह विवाद व्यर्थ है कि संसद बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं। हम कानून बनाने में बड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने में बड़ा है किन्तु दोनों से बड़ा है भारत का संविधान। दोनों को संविधान की सीमा में रहना है। संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है। संविधान को बदलती हुई परिस्थिति का प्रतिबिम्ब होना पड़ेगा। संविधान में उस के संशोधन की व्यवस्था की गई है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जो दो तिहाई बहुमत से बदली नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या संसद दो तिहाई बहुमत से भारतीय गणतंत्र को राजतंत्र घोषित कर सकती है ? नहीं घोषित कर सकती। क्या संसद दो तिहाई बहुमत से प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को महारानी इंदिरा गांधी घोषित कर सकती है ? नहीं कर सकती। संसद दो तिहाई बहुमत से सूत्राङ्गन का कानूनन प्रचलन नहीं कर सकती। संसद दो तिहाई बहुमत से भारत को एक महजबदी राज्य भी घोषित नहीं कर सकती है। न हम दो

तिहाई बहुमत से जन्म, जाति, वंश या मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाली समाज व्यवस्था या राज्य की रचना कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन संविधान की प्रस्तावना बदलने का कोई प्रावधान नहीं इसलिए हमें संविधान के मूलभूत अधिकारों को कम करने या उन अधिकारों को समाप्त करने के पहले गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा।

बैंक राष्ट्रीयकरण को एक क्रान्तिकारी कदम मानने वाले महानुभावों से मेरा निवेदन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इतना क्रान्तिकारी कदम नहीं है जितना वह समझते हैं। श्री मल्लयेशिया ने बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया है। क्या मल्लयेशिया समाजवादी हो गया ? क्या हमारे मित्र मल्लयेशिया के चरणचिह्नों पर चलना चाहते हैं ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से शोषणहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। ताइवान में, स्पेन में, फ्रांस और इटली में बैंक सरकार चला रही है। लेकिन जिस तरह की समाज रचना हम चाहते हैं उस का दिग्दर्शन उन देशों में नहीं होता। हम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। इसलिए नहीं की निजी बैंकों के टांचे तथा ऋण देने की नीतियों से हम सहमत थे। उन में परिवर्तन की गुंजाइश थी। वह परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन हमारी मान्यता थी कि इस के लिए राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य नहीं है, अपरिहार्य नहीं है। स्वयं प्रधान मंत्री ने बंगलौर अधिवेशन में कहा था कि या तो तीन चार बैंक लेने पड़ेंगे या सामाजिक नियंत्रण के कानून को अधिक मजबूत करना पड़ेगा। स्वयं उन का दिमाग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट नहीं था। यह बात अलग है कि जब उन्होंने श्री मोरार जी भाई को मंत्री-मंडल से निकालने का फंसला कर लिया तो श्री मोरार जी भाई के निष्कासन को उचित सिद्ध करने के लिए उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

श्री मोरार जी : भाई ने बाद में कहा— मुझे मंत्रि-मंडल से बैंगन और आलू की तरह से निकाल फेंका गया। मैंने श्री मोरारजी भाई से कहा—आप किचन-केबिनेट से और क्या आशा कर सकते हैं। किचन-केबिनेट से अगर आलू और बैंगन का सफाया नहीं होगा तो और क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो बैंक सरकार ने हाथ में ले लिये हैं उन्हें अब निजी हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। अब राष्ट्रीयकरण को सफल करके बिखलाना होगा। और राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी विभागों की तरह से चलने वाले हैं तो आज जनता को जो आशायें और अपेक्षायें जगाई गई हैं, वे इस सरकार से जवाब मांगेंगी। अभी तक बैंकों की ऋण देने की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है...

श्री शशि भूषण : सुप्रीम कोर्ट से फुरसत ही नहीं मिली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया है। अगर स्टेट बैंक चाहता तो पहले ही अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकता था। खेती के लिये, छोटे उद्योगों के लिये नये कर्ज की आवश्यकता है और अगर राष्ट्रीयकृत बैंक इस कर्ज की आवश्यकता को पूरा कर सकें, विकास की गतियों को बढ़ा सकें और अपने उदघोषित उद्देश्यों को पूरा कर सकें तो फिर आज जो आशंकायें हैं, वे बहुत दूर तक समाप्त हो जायेंगी। लेकिन सरकार के के हाथों में अधिकाधिक शक्ति एकत्र करने का जो दुष्परिणाम होता है उसके प्रति भा हमको आँखें मून्ड कर नहीं चलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त रूप में विरोधी नहीं है। अगर जनहित में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है तो राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, लेकिन हम राष्ट्रीयकरण को राष्ट्र के समस्त लोगों की

रामबाण औषधि नहीं मानते। अब प्रधान मंत्री जी कह रही हैं कि राष्ट्रीयकरण कोई जादू का डण्डा नहीं है, जिससे सारी समस्यायें हल हो जायेंगी, तो क्या यह जादू का डण्डा कांग्रेस की कपालक्रिया करने के लिये चलाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बेध के सामने राष्ट्रीयकरण ही मुख्य प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बारे में मतभेद हो सकते हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी राष्ट्रीयकरण करती है, कन्जर्वेटिव पार्टी राष्ट्रीयकरण को समाप्त करती है, लेकिन लेबर और कन्जर्वेटिव पार्टियाँ लोकतन्त्र को कमजोर न होने दिया जाय—इस बारे में एकमत है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता लाते हुए भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है, जिससे लोकतन्त्र पर आघात लगे। सरकार कहती है कि उसका उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाजवाद है। लोकतान्त्रिक समाजवाद में अगर लोकतन्त्र समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो इतना महत्वपूर्ण जरूर है जितना समाजवाद है। अगर समाजवाद आया और लोकतन्त्र समाप्त हो गया तो समाजवाद लाने की हमारी स्वाधीनता भी समाप्त हो जायगी। इसलिये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस ढंग से करने होंगे कि लोकतन्त्र की भावना को किसी प्रकार की चोट न लगने पाये।

15.13 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR in the Chair].

सभापति जी, यह बड़े खेद का विषय है कि प्रधान मंत्री जी सदन में नहीं हैं। लेकिन आजकल प्रधान मंत्री जी भारतीय जन संघ के भारतीयकरण कार्यक्रम से बड़ी नाराज हैं। जहां जाती हैं, हम पर बरसती हैं, बिना पैसें का हमारा प्रचार करती हैं। हम इसके लिये

उनके आभारी हैं। लेकिन शायद या तो उन्होंने भारतीयकरण को ठीक समझा नहीं है या वह जानबूझ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीयकरण का सम्बन्ध केवल मुसलमानों से नहीं है। भारतीयकरण के अन्तर्गत देश की 52 करोड़ जनता आती है। भारतीयकरण एक नारा नहीं है, यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण का मन्त्र है। भारतीयकरण का एक ही अर्थ है—भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, उनका प्रदेश कुछ भी हो, वह भारत के प्रति अनन्य अविभाज्य, अव्यभिचारी निष्ठा रखे। भारत पहले आना चाहिये, बाकी का सब बाद में। क्या यह कोई आपत्ति की बात है ?

सभापति महोदय, 52 करोड़ के इस देश में ब्राह्मण मिलते हैं, हरिजन दिखाई देते हैं, सिख पहचाने जा सकते हैं, जैन अलग से विराजमान हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, प्रदेशों के आधार पर बंटे हुए लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलनेवाले व्यक्ति हैं, लेकिन सम्पूर्ण भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है। प्रधान मंत्री बड़े भोलेपन से कहती हैं—जो भारतीय हैं, उनका भारतीयकरण कैसा ? तो मैंने कहा—जो राष्ट्र का है उसका राष्ट्रीयकरण कैसा ? सभापति महोदय, हम सब इन्सान हैं। मगर कवि, दार्शनिक हम से कहते हैं—इन्सान बनो। हम सब मानव हैं लेकिन हमसे कहा जाता है कि मानव बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, संस्कार से, ज्ञान से। भारतीय हम सब हैं, भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत के प्रति निष्ठा रखनी चाहिये। अभी चण्डीगढ़ में क्या हुआ ? कल बेलगांव में क्या होने वाला है ? पश्चिमी बंगाल में माओसेतुंग को अपना राष्ट्रपति बताने वाले माओ के मानसपुत्र गीता और गीतांजलि को तिलांजलि देकर माओ की लाल-पुस्तक

घुमा रहे हैं। क्या उनका भारतीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है ?

सभापति जी, देश में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देकर संक्यूलरवाद को मजबूत नहीं किया जा सकता। संक्यूलरवाद का नारा कोई कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है, यह इस देश की संस्कृति में से निकला हुआ मन्त्र है। क्या भारत की स्वाधीनता के बाद भारत को हिन्दू राज घोषित नहीं किया जा सकता था ? पाकिस्तान ने किया, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों ? इसलिये कि हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। स्वयं हिन्दुत्व में उपासना की अनेकों पद्धतियाँ हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा—एक किताब को मानो, एक व्यक्ति में ईमान लाओ, नहीं तो दोजख में जाना पड़ेगा। सत्य एक है, लेकिन विद्वान लोग भिन्न-भिन्न रूप में उस की व्याख्या करते हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति के अनेकानेक मार्ग हो सकते हैं। लेकिन आज संक्यूलरिज्म का मतलब हो गया है—हिन्दू विरोधी। नान-एलाइनमेन्ट की तरह इस सरकार के संक्यूलरिज्म को भी सन्देह की नजरोँ से देखा जा रहा है। यह सन्देह दूर करना होगा। मुझे अपने हिन्दुत्व पर अभिमान है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ या इस्लाम से मेरा कोई भ्रगडाँ है। लेकिन जब मजहब के साथ राजनीति को मिलाया जाता है, जब उसके आधार पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, जब आप प्रथकता को बढ़ावा देते हैं, जब आप रब्बात के सम्मेलन में जाने का फंसला करते हैं, तब साम्प्रदायिकता बढ़नी है। यह साम्प्रदायिकता दुधारी तलवार की तरह से है। एक तरफ साम्प्रदायिकता की भाग जलाकर दूसरी तरफ आप साम्प्रदायिकता को शान्त नहीं कर सकते। हर एक को अपने गिरह्वान में मुँह डाल कर देखना चाहिये। राष्ट्र की एकता को अगर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मजबूत करना है तो वह राजनीतिक सौदेबाजी के आधार पर नहीं हो सकती। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है, ये विविधतायें हमारे जीवन में समृद्धि का द्योतक हैं, लेकिन विविधता के मूल में एकता निवास करती है।

इस एकता को बलशाली बनाने का नाम भारतीयकरण है—

प्रधान मन्त्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र श्री मधोक ने कहीं कह दिया कि प्रधान मन्त्री का भी भारतीयकरण करना चाहते हैं तो वह नाराज हो गईं। अगर हम उन्हें छोड़ दें तब भी वह नाराज और अगर हम उनको जोड़ दें तब भी वह नाराज। प्रधान मन्त्री को भारतीयकरण के खिलाफ शिकायत यह थी कि वह अकेले मुसलमानों के लिए है, तो श्री मधोक जी ने कहा कि उसमें मुसलमानों का ही नहीं सभी का समावेश है और उसमें प्रधान मन्त्री भी शामिल हैं। इस पर प्रधान मन्त्री बिगड़ गईं। नेहरू जी जब बिगड़ते थे तब अर्द्ध भाषण दिया करते थे। इसलिए हम कभी कभी नेहरू जी को छोड़ा करते थे।... (व्यवधान)... मगर हम प्रधान मन्त्री को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। लेकिन वह तो वैसे ही बिगड़ा करती हैं। मुझे दुख है कि प्रधान मन्त्री जी इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने एक सभा में कहा कि भारतीय जनसंघ को मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। क्या किसी लोकतन्त्रीय प्रधान मन्त्री की यह भाषा हो सकती है? क्या किसी लोकतन्त्रीय सरकार को यह नीति होगी कि पुलिस के जरिए या फौज का उपयोग करके हमें ठीक किया जायेगा? हम दिल व दिमाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस लड़ाई में हमारे साथ ब्याइये। अगर जनता आपके साथ जायेगी तो हमारी पराजय होगी। लेकिन याद रखिए भारतीयकरण की बात लोगों के दिलों में घुस रही है।

हमने जो भारतीयकरण का व्यापक रूप प्रस्तुत किया है, कोई समझदार आदमी उससे मतभेद नहीं रख सकता है।... (व्यवधान)... लेकिन जब प्रधान मन्त्री ने कहा कि मैं जनसंघ को पांच मिनट में ठीक कर सकती हूँ तो मैंने उत्तर दिया पांच मिनट में आप अपने बाल भी ठीक नहीं कर सकती हैं, हमें क्या ठीक करेंगी।

वाषिष्ठ क्षेत्र में भारतीयकरण का अर्थ है एक स्वावलंबी भारत की रचना करना। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब हम स्वदेशी के मन्त्र का जागरण करते थे लेकिन आज हमारे यहाँ विदेशी पूँजी, विदेशी साधन, विदेशी तकनीकी ज्ञान, विदेशी प्रेरणा, विदेशी प्रतिभा का बोलबाला है। स्वावलंबी होने के बजाये हम परावलंबी हो गए हैं। रूस और अमरीका पर हमारी निर्भरता एक खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है। इसका परिणाम हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी भुगतना पड़ रहा है। अमरीका के दबाव में आकर हमें अपने रूपए की कीमत घटानी पड़ी। रूस के दबाव में आकर हमें ताश्कंद समझौता करना पड़ा। हमारे जवानों ने अपने बलिदान से जिस भूमि को जीता, उस भूमि को हमें अपने शत्रु के हाथों में सौंपना पड़ा।

हमारा निवेदन है कि सरकार चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में क्रान्तिकारी परिवर्तन करे। सभी प्रकार की विदेशी सहायता बन्द की जानी चाहिए—चाहे वह रूस की हो या अमरीका की हो या अन्य किन्हीं देशों की हो। अगर हमें विदेशी मुद्रा चाहिए तो हम दुनिया के बजार में जाकर अपनी शर्तों पर विदेशी मुद्रा लेंगे। अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो वह भी हम खरीदेंगे। चीन को कोई सहायता नहीं देना है। सभी देशों ने चीन को सहायता देना बन्द कर दिया है। चीन सहायता लेता भी नहीं है। लेकिन फिर भी चीन प्रगति कर रहा है। हम विदेशी सहायता पर इतना निर्भर हो गए हैं

कि अपने पैरों पर खड़े होने को हमारी शक्ति ही कुंठित हो रही है। अगर राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाकर हम स्वावलंबन की भावना पैदा करें यदि इस देश के लोगों में बलिदान करने की ज्योति जगाई जाये तो आर्थिक क्षेत्र में जितने भी कठोर कदम उठाने आवश्यक होंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। हम उन कदमों की मांग करेंगे। लेकिन आज स्वावलंबन का चित्र इस सरकार के सामने नहीं है। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश नहीं करता है। चौथी पंच वर्षीय योजना में हमारी निर्भरता विदेशों पर कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। भारतीय जनसंघ ने सरकार के सामने एक स्वदेशी योजना का खाका रखा है। प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम स्वामी कई साल तक हावर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जोकि हमारे आग्रह पर भारत लौट कर आये हैं। उन्होंने एक स्वदेशी योजना तैयार की है जोकि बिना विदेशी सहायता के दस फी सैकड़ विकास की दर बढ़ाने का दावा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद को उस योजना पर विचार करना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि विदेशों के साथ हम जो गठबंधन करते हैं, उनके बारे में भी हम पुनर्विचार करें। हम पिछले 22 सालों से विदेशों से गठबंधन करते जा रहे हैं। उनकी जरूरत घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में फारेन कोला-ब्रेशन्स का क्या हाल है, इसका कुछ कुछ पता आर्डिट की रिपोर्ट से लगता है। हमारी मांग है कि एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग होना चाहिए जो विदेशों के साथ किए गए साँचे के समझौतों की जांच करें कि क्या ये समझौते आवश्यक थे? क्या ये देश के लिए हितान्वहक हैं? पर किए गए थे? क्या उनके परिणाम-स्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था को, हमारे उद्योगों

को वास्तव में बल मिला है? जब तक इस तरह के कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, विदेशी गठबंधन की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

यह भी जरूरी है कि कम्युनिस्ट देशों के साथ रूप के आधार पर हमारा जितना व्यापार चल रहा है उस सारे व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले ले। वह व्यापार सरकारी स्तर पर होता है।... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : सारा व्यापार।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारे विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी हमारा कहना है कि आयात-निर्यात के व्यापार में जो अनियमिततायें हैं उनकी जांच के लिए भी एक कमीशन है बनना चाहिए। सरकार राष्ट्रीयकरण करने से पहले एक केस बनायें, मामला तैयार करे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभी भी मामला तैयार नहीं किया गया है। देश को इस बात से परिचित किया जाना चाहिए कि आयात-निर्यात के व्यापार में क्या बाँधलियाँ हो रही हैं। इस बात का भी निर्णय होना चाहिए कि क्या व्यवितगत हाथों से निकाल कर व्यापार को सिर्फ सरकार के हाथों में रख दिया जाये। हमें स्वामित्व का फलान करना चाहिए। अधिक-से-अधिक लोगों को स्वामित्व में शामिल करने की व्यवस्था का विकास करना चाहिए। पूँजीवाद के स्थान पर राज्य-वाद, यह हमारी कठिनाइयों का पर्याय नहीं है। मुझे खुशी है कि सरकार ने ज्वाइंट सेक्टर को विकसित करने की बात कही है—एक मिला-जुला सेक्टर जिसमें व्यक्तिगत प्रयत्न भी हों और सरकार को भी भाग मिले। स्वामित्व का अगर हम विकेन्द्रीयकरण कर सकें तो वार्षिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के दोषों से हम बच सकते हैं।

[श्री भ्रटल बिहारी वाजपेयी]

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगा।

राष्ट्रपति महोदय ने चंडीगढ़ के सम्बन्ध में निर्णय का उल्लेख किया है। चंडीगढ़ के प्रश्न को लेकर जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन जैसा कि अन्य व्यक्तियों ने भी कहा है, सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मामले को लटकाये रखना, यह इस सरकार की कुशलता है। मदारी की तरह से सवालों के सांपों को वह पिटारी में बन्द रखती है और समझती है कि सवालों के सांप अगर पिटारी में बन्द हैं तो वह समाप्त हो गए। लेकिन जैसे ही पिटारी खुलती है, सवालों के सांप अपने फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे दुःख है कि चंडीगढ़ का निर्णय किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया गया। आज जो सीमा विवाद हैं उनका निर्णय होना चाहिए लेकिन निर्णय करने से पहले कुछ सिद्धांत तय होने चाहिए।... (व्यवधान)... ये सिद्धांत सरकार को तय करने हैं।... (व्यवधान) अरे हमने तो पहले पर दहला मारा है। हम मांग करते हैं कि सीमा विवादों का निर्णय कमीशन द्वारा नहीं, ट्राइब्यूनल के द्वारा होना चाहिए। इसी तरह की बात आज पाटिल जी ने भी कही है। शाह कमीशन बना लेकिन उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। महाजन कमीशन बना लेकिन उसकी रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।... (व्यवधान)... इसलिए पहले आप सिद्धांत तय कीजिए।

गांव एक यूनिट होगा या तहसील यूनिट होगी अथवा जिला यूनिट होगा, भाषा के साथ भौगोलिक सम्बद्धता प्रशासनिक सुविधा इन सब का विचार किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। अब आप देखिये कि फाजिल्का हरियाणा को दे दिया। चौ० रणधीरसिंह को

इसके लिये बघाई है। उन्होंने भूख हड़ताल की थी। वह चार दिन की थी। अगर ज्यादा दिन की करते तो शायद असर दिखलाई देता। लेकिन एक तरफ तो फाजिल्का का फैसला कर दिया और दूसरी तरफ कमीशन बना दिया। अगर आपको कमीशन ही बनाना है तो फाजिल्का का फैसला क्यों, और अगर फाजिल्का का फैसला कर दिया तो कमीशन क्यों। अब फिर एक मदारी की पिटारी खुलेगी, फिर सीमा विवाद खड़े होंगे, फिर कठिनाइयां पैदा होंगी और कमीशन जो निर्णय देगा उसको माना नहीं जायेगा। अतः कमीशन नहीं, ट्राइब्यूनल होना चाहिये। वह सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे और उनके निर्णय हर एक को मान्य होंगे। मुझे दीख रहा है कि बेलगांव के सवाल पर कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं और प्रधान मंत्री फिर बन्दर-बांट करेंगे। सवालों को हल करने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला है जिसमें सिद्धांत तक में रखे जाते हैं। राजनीतिक सूझ बूझ और नीतिमत्ता में मानना पड़ेगा कि वह बड़ी चतुर हैं, लेकिन यह सब देश की कीमत पर हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिद्धांत तय कीजिये। जैसे नदी विवादों के बारे में ट्राइब्यूनल बना है और उसको विवाद सौंप दिया जाता है और उस का निर्णय मान्य होगा, उसी प्रकार से सीमा विवादों के सम्बन्ध में भी ट्राइब्यूनल से निर्णय होना चाहिये। अगर इस तरह से निर्णय किया गया तो चण्डीगढ़ में जो कुछ हुआ बेलगांव के प्रश्न पर उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय करेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया इसलिये मैं आप को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : Mr. Chairman, Sir, Sri Atal Bihari Vajpayee

has very cleverly escaped from the formulations of Shri Bal Raj Madhok. Speaking about education, Shri Bal Raj Madhok had stated that Muslims must be educated into nationalism. But Shri Atal Bihari Vajpayee has today came out for nationalisation of banks and for what he calls the true concept of nationalism. If Shri Bal Raj Madhok does not take the Jan Sangh of the concept of Shri Atal Bihari Vajpayee to the funeral ghat, I would be happy. Mr. Bal Raj Madhok must not do the kapalkriya of the Jan Sangh party. Shri Vajpayee talked of nationalism, morality, discipline and a sense of responsibility and all that. Where was that sense of responsibility when the Haryana Jan Sangh was exciting the Haryanvis against the Punjabis? Where was that sense of responsibility when they excited the Punjabis against the Haryanvis? In alliance with the CONGO they were burning the buses and the stations. Where was the sense of responsibility, that sense of dedication and patriotism? It is easy to talk in this Parliament and talk about morality, about discipline, etc. But the practice of the Jan Sangh and the CONGO is in the other way. In the last few months, the CONGO has been second to none in speaking against the North, and against Hindi in Madras. They speak against the Punjabis in Haryana and against Haryana in Punjab. This is like the drowning man catching at a straw. What they do is actually in the direction of the disintegration of the country. Let us examine the principles that they follow.

Sir, I am reminded of a story in the Greek mythology. In the Greek mythology there is a gate of hell and the gate of hell is guarded by a three-headed dog, Cerberus. Anybody who has to cross the gate of hell has to cut the heads of the dog. I was reminded of this when I heard the speech of the three Syndicate Members. Dr. Ram Subhag Singh who talked like an agitator. He talked of nationalism; he talked of the poor man. Then I heard the speech of Dr. Sushila Nayyar who said that you should make love to the princes and cooperate with the princes and crawl before them.

Lastly came the main guardian, the chairman of the Syndicate, who said that there is some ambivalence on the question of abolition of the privy purses. He had

said in his election campaign that if the privy purses were abolished and banks nationalised, 'it would be on my dead body'. But I say, let Shri S.K. Patil commit political suicide first. We know that this three-headed dog, Cerberus, is standing on the gateway to socialism. We shall chop off all the three-heads of this dog represented by the syndicate and march towards socialism.

The syndicate is a laboratory of untruths, quarter truths, falsehoods and misrepresentations. Let us examine the birth of this syndicate. When Pandit Nehru was alive, the syndicate was born (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I would appeal to members to have patience. He may not be speaking sense according to hon. members on this side.

SHRI S.K. TAPURIAH (Patil): What is the speaking on, the Syndicate or the President's Address.

MR. CHAIRMAN: That is a matter of opinion. Whatever it is, he should be heard in patience.

SHRI R. K. SINHA: As I said, the syndicate was born when Pandit Nehru was alive. Who were its members? The Congress President, Cabinet Ministers, Chief Ministers, Congress Working Committee members and members of the Parliamentary Board. They were in power all over India. Why was it that the syndicate was formed, the syndicate which could not tolerate a Congress Socialist Party within the Indian National Congress, the syndicate which banned the Socialist Forum from having its convention in Bengal? The syndicate was formed because they thought that Pandit Nehru was going to leave this world and parliamentary democracy may not survive. They wanted to capture the levers of power. This conspiracy against parliamentary democracy was born when the syndicate was born. What was the conspiracy against? Against whom were they conspiring? They were conspiring against the people of India. When they found that Congress Parliamentary Party had got radicalised and gone left, they tried to steal the thunder in the All India Con-

[Shri R. K. Sinha]

gress Committee. When Shri Mararji Desai found that out of 25 speakers who spoke at the Faridabad session 23 demanded nationalisation of banks, this architect of democracy did not submit a report to the All India Congress Committee. The AICC had got radicalised, the Congress Parliamentary Party got radicalised. But these gentlemen do not understand the lessons of history. They have been kicked by the bulls of history. Shri S. K. Patil roared when he got elected to this House that he would turn the tables; now the tables have been turned against him.

The battle of identity has been won by us. The majority of the members of the legislatures and Parliament are on our side. The majority of the All India Congress Committee members and the majority of the delegates are on our side. The self-appointed Moghul, Nijalingappa, now says that the Congress constitution is silent on the point (*Interruptions*). Who does not know that two and two make four? Why should we deny that two and two is four?

In the Ahmedabad session they talked of socialism and the abolition of privy purses, they talked of nationalisation of banks, but from the way Shri S. K. Patil talked today the cat was out of the bag and the real master of ceremonies come to the front. In the coming battle for socialism we know what is at stake. They might try to say that we are insulting the Constitution, that we are subverting the Supreme Court, but that is not so. Let us be clear about the nature of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was elected at a time when partition was looming on the horizon, when Britain was conspiring against India to bring Pakistan into existence. That Constituent Assembly was indirectly elected, not elected on the basis of adult franchise by the people of India, and if that Constituent Assembly framed a Constitution in which we find certain defects or which we want to change, let us understand who is sovereign, the people of India or the Constitution of India. Therefore, I wish to make the following suggestions to the Government under the dynamic leadership of Mrs. Gandhi.

The Bill of Mr. Nath Pai on fundamental rights must be passed by this Parliament and the supremacy of this Parliament must be restored. In case we find certain hurdles in the way, in 1972 along with the elections for Parliament, there should be election for a new Constituent Assembly, and if that is also challenged, let the people of India decide through a plebiscite or a referendum. We know in the battle for polarisation where the Syndicate will be. The Syndicate talks of the principles of Gandhiji and Nehru. Gandhiji was buried by them when they shook hands with the Jana Sangh; Nehru was buried by them when they shook hands with the Swatantra Party.

I have carefully gone through the President's Address. In the President's Address it has been mentioned that the financial institutions should be used for helping the electricity boards for better electrification of the countryside. About this I wish to remind the Prime Minister and the Government of the recommendation of the Atomic Energy Commission for the installation of a project in Western U. P. at a cost of Rs. 1232 crores. This project will be spread to 17 districts of western U. P. A power station with two nuclear reactors, a fertiliser plant with a total capacity of 1.2 million tonnes per annum and an aluminium plant of 50,000 tonnes capacity per annum will be installed. For agriculture, 12950 shallow tube-wells of 0.5 cusec capacity will be energised and 12850 tube-wells of 1.5 cusec capacity will be energised at an investment of Rs. 5.25 crores, and an income of 15 per cent per annum will be available. What would be the value of nationalisation of banks, of the LIC and other financial institutions if the agriculturists suffer, if the vast resources of the country are not taken to the backward regions of the country? This atomic energy scheme for western U. P. will benefit Haryana, Rajasthan, Punjab and the whole of U. P.

U. P. has suffered in the last three five-year Plans. That will be seen from a comparison of the *per capita* consumption of electricity in that State before the era of planning began and now. If we compensate that State that money will be a good investment. There will not be socialism in this country if these imbalances are not removed.

It is necessary that backward areas as should be marked cut. Eastern U. P. particularly Faizabad division, has to be considered from this point of view. They must consider how to establish some public sector projects in such areas. Licences should be given to private sector projects only if entrepreneurs go to the backward areas. There cannot be any socialism if we confine our attention to the big cities of Madras, Calcutt, Bombay, and Delhi; they do not constitute the whole of India. The villages and the hinterland, the village tax-payer should also be remembered. Without such backward regions being brought up, there will be no socialism in this country.

Another problem facing us is the educated unemployed. Whatever resolutions may be passed, there will be no future for this country if the educated are unemployed. There are some lacunae which come in the way of our forward march towards socialism one of them being the absence of dedicated people to serve as officers. There should be at least a commitment from them to the future of the country and to the Directive Principles in our Constitution. For that it is necessary that our whole educational system should be reorganised. The youth have to be told what is real education, what is the sense of patriotism, the sense of direction, the future of the country. For this it is necessary that a non-partisan national youth movement should be launched in this country. We must conscript the youth of the country for service of the motherland. Then alone we shall find good officers and honest businessmen, honest communists, honest Jan Sanghis and honest socialists. Today there is no sense of loyalty. For political purposes these persons sitting in the Opposition get the railway stations and other public property burnt; they play politics with the future of the nation. For realising our goal of welfare State there should be a dynamic and living student and youth movement in the country. Let there be a land army so that the problem of follow land may be solved. Let us conscript the youth of the country for the future of the country. That way alone can the country survive, not the Dr. Ram Subhag Singh's way of the three headed dog Cerberus; that way the future survival would be hard.

*SHRI K. ANBAZHAGAN (Tiruchengode) : Mr. Chairman, Sir, on behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam I rise to speak in Tamil on the Motion of Thanks on the President's address. I would like to take this opportunity to thank the hon. Speaker for having introduced the facility of simultaneous interpretation in regional languages thus enabling us to speak in our mother-tongue, Tamil. Whenever the DMK members spoke in English, the Hindi-speaking colleagues thought that we did so because we disliked Hindi. Now when I speak in Tamil—that does not mean that I have any hatred for other languages of India—they would realise that we stressed the importance of English mainly because there was no other medium through which we Indians could exchange views with one another. I hope they would appreciate our position.

Though in the post-Independence era of over 20 years, great changes and transformation has taken place in our country, I regret to find an attitude of intolerance still prevalent which was exhibited by the protagonists of Hindi language and some members of Hindi-speaking areas when the President was pleased to read out his Address in English. If, exercising his right as an ordinary citizen, the President had read out his address in his mother-tongue, Telugu, or in Tamil which he knows, the advocates of Hindi language who have little regard for other Indian languages because of their obsession with Hindi would then have had a taste of real problem.

While moving the Motion of Thanks on the President's address yesterday Shri Hanumanthaiah rightly described the Address as unique because of the valuable views contained therein. Dr. Ram Subhag Singh, the leader of the Organisation Congress and some others belonging to his party ridiculed it and disapproved of it and said that it was not so unique. I am not here to refute their views.

I would like to refer to one very important point highlighted in the President's address which had not been mentioned before. The view expressed by the President in his address that while we have adopted a democratic system his Govern-

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri K. Anbazhagan]

ment have resolved to go forward at a faster pace towards the achievement of a social order which is just and humane, would be welcomed by all the people of the country. It is just fit and proper that, instead of the politicians saying so, the President himself has affirmed this resolve. If the Government implement with earnestness and zeal the programmes enunciated by the President, which previously they had neglected, the people would welcome it all the more.

Dr. Karani Singh, an Independent member, yesterday said that it was not proper on the part of the DMK to continue to support the ruling party. He also said that if revered Anna, the great leader of our party, had been alive he would have already started opposing the Government. He suggested that we should also do so. As he is an independent member I hope that he has no political motives in making this statement. It would like to clarify our stand here. In formulating its policies our party is not concerned as to who is in power. We are still holding on the same policies as we adopted earlier. When Dr. Ram Subhag Singh who as leader of the Organisation Congress is now occupying the first place on the Opposition benches, was on the treasury benches and when Shri Morarji Desai was sitting next to the Prime Minister as Deputy Prime Minister, whatever policies we had then, are being followed by us even now. We have not changed our policies in the least. This has been our stand not merely in Parliament. In fact during the period 1957 to 1967 when we were sitting in Opposition benches in Tamil Nadu Assembly under the eminent leadership of learned Anna, when the respected leader Shri Kamraj was the Chief Minister and later when Shri Bhaktavatsalam was the Chief Minister, the DMK Party had evolved certain policies and principles in the matter of opposing or supporting the Government. We are following the same policy now in relation to the Government of Shrimati Indira Gandhi.

I would particularly mention here that DMK is a party which has got firm faith in democracy and it strongly believes that it is only through democracy that the country can have a bright future. In order to strengthen the democratic set-up further, the DMK

has not hesitated to alter its avowed objective. As all of you are aware, the DMK party had once waged a struggle for the secession of a part of the country on the plea that Dravidian belonged to Dravidians. When the Chinese aggression took place and when their army attacked India and our freedom was in danger, we strongly felt that if we then persisted with our demand, the whole country would fall a prey to the aggressor. We wanted to defend the country; we wanted to protect at all costs the Independence of our country; we wanted to work in the interest of the people. At that time the DMK announced that it had dropped the demand of secession unconditionally. We then modified our approach as we were eager to foster democracy in our country. On the same basis though there may be some lapses on the part of those who run the Government now, we wish that the Central Government should not become another Uttar Pradesh; nor do we want the type of the instability that prevailed in Bihar, when the inability of the parties to choose the Chief Minister led to the imposition of President's rule. We are extending our support to the Government only to the extent to which it is necessary to avoid similar confusion at the all India level, and uncertainly at the Centre. We are not extending our support to the Government just because Shrimati Indira Gandhi happens to be the Prime Minister or because of certain other members of the ruling party. Nor does it mean that we agree with all their policies and programmes.

15.55 hrs.

[SHRI PRAKASH VIR SHASTRI *in the Chair.*]

Our leader Anna who was our guiding star, had laid down for us certain guidelines which I would like to explain here. We may disagree with the judgement of the Court, we may not find them agreeable; but the DMK believes that we should have respect for and faith in the Judiciary. This is the fundamental of democracy. We should have respect and regard for Judiciary, having at the same time a right to differ and take suitable legislative measures. This is the accepted policy of the DMK. Secondly, so far as the legislature is concerned, whether

It is the ruling party or the opposition party, the procedure laid down for the conduct of the business should be respected; and if any change is desired in the procedure, it should be effected by following the prescribed procedures. That is to say, we accept the policy of reciprocal attitude and responsible participation in and outside the legislature. Our attitude is reciprocal and responsible. We will support the ruling party when they have sound policies and we will censure them when they go wrong. Whenever there are lapses on the part of the executive we will not hesitate to point them out. That means there should be a constant review of the activities of Government and reasonable criticism of the executive. In order to safeguard democracy in our country we have accepted these principles. We are not desirous of toppling the Government just for the sake of toppling when we are not sure of an alternative.

16 hrs.

The Swatantra Party leader Prof. Ranga said in his speech that this was the Gandhi Centenary Year the significance of which we all recognise. But, I doubt if either the ruling Congress or the Organisation Congress which are celebrating the Gandhi Centenary year, is exercising its influence over the States under their control to implement the policy of Prohibition for which Mahatma Gandhi fought as vigorously as he did for the freedom of the country and for the principle of non-violence. In Andhra Pradesh the ruling Congress Party is in power; in Mysore the Organisation Congress, over which Shri Kamaraj has great influence, is in power. Neither of these States fully subscribe to the policy of total prohibition. Shri Morarji Desai, former Deputy Prime Minister, can escape this charge by saying that in Gujarat they are enforcing prohibition. It is not merely the programme of a particular political party but it is enshrined in the Constitution as one of the Directive Principles of State Policy. Prohibition is in force in Tamil Nadu since 1937. First, the Congress Party introduced it; the DMK Party continues to enforce it. As the DMK was an Opposition Party to Congress in Tamil Nadu, there was a misgiving in certain quarters about the attitude of this party to the policy of prohibition enunciated by Mahatma Gandhi. While

the DMK after coming into power has been implementing it vigorously, the neighbouring States have relaxed ironically when the Gandhi Centenary year is being celebrated.

The loss of revenue on account of prohibition in Tamil Nadu is of the order of Rs 20 to 25 crores. It is shameful that the Central Government have not offered to meet even a small part of this loss. Rajaji implemented it; Shri Kamaraj followed it; Revered Anna continued it. It is above party politics. It is not merely Mahatma Gandhi's tenet. This was preached by the Poet-Saint of Tamil Nadu, Tiruvalluvar, 2000 years ago. Vadalur Vallar advocated it 150 years ago. The Central Government have not come forward to stand by the state Government of Tamil Nadu in the enforcement of this policy. Andhra Pradesh is relaxing; Mysore is relaxing; I charge both these neighbouring states, where one or the other Congress is in power for inducing the people of Tamil Nadu to take to the evil habit of drinking.

16 hrs.

Shri Morarji Desai, former Deputy Prime Minister, once offered to help the State Government which decided to introduce prohibition for the first time. But he did not offer any help to those States where prohibition was already in force. He said that if there was any Government which came anew to introduce prohibition he would extend the help. He made a mockery of the policy of prohibition. The present Prime Minister, who is also the Finance Minister, should implement not only Nehru's policies but also Mahatma Gandhi's policy at all India level. Mahatma Gandhi was a national leader of no less importance. Those who want to protect and preserve the Constitution and implement the Directive Principles of State Policy should compensate the State Governments, which enforce prohibition, to the extent of 25% or 30% at least if not 50% of the loss incurred by them on account of prohibition.

Now, Sir, I come to this. Whenever one utters the words "All India" or "All are Indians", a wrong impression is gathered that all the Indians know Hindi. All do not and cannot know Hindi. About the suggestion, I would say even if I speak in English, then also all will not be able to follow and therefore I am speaking in Tamil. While I am speaking in Tamil, those who

[Shri Anbazhagan]

know English or Hindi would put on the headphones to hear the simultaneous interpretation and go through the botheration of switching to English or Hindi channel. This is an occasion when they would realise the difficulties which the hon'ble Members not knowing Hindi face.

All people do not know Hindi and even among the Hindi-speaking people, many cannot follow the type of Hindi spoken here. I can substantiate this statement with statistics. Those people in the northern States who have been mentioned as Hindi-speaking in the last Census Report do not in fact know real Hindi. In some parts of Uttar Pradesh "Pahari" is spoken; in Bihar "Bhojpuri" is spoken; in another part of U.P., "Jhat" is spoken. In Haryana, Punjabi is spoken. In Delhi Urdu is spoken.

AN HON. MEMBER : In Haryana, they speak Haryanvi. (*Interruptions*)

SHRI K ANBAZHAGAN : Whether it is Haryanvi or Panjabi, it cannot be differentiated by me. What I can explain to you is that these dialects are termed as different languages according to language science. You take them all into Hindi group and you tell us that so many crores of people are speaking Hindi. But it is not a fact; according to linguistic science these are different languages. If you can say that all these distinct languages come to be known as 'Hindi', then we can also say that Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam are Dravidian. Why I have raised the language issue is to point out that the people who call themselves to be Hindi-knowing cannot understand the Hindi other than the Dialect spoken in their areas and they are suffering. In these circumstances can you say that all the Indians know the same Hindi when the language spoken in the eastern part of U. P. is different from that spoken in the western U.P., and when the language spoken in U.P. is different from that spoken in Bihar, and when the languages spoken in Haryana and Punjab are different. With all these variations in the language spoken in the northern region, how can you say that all the Indians know Hindi ?

SHRI K. HANUMANTHAIYA (Bangalore) : Will it not be better if the hon. Member speaks in a language which is understood by all here ?

SHRI K ANBAZHAGAN : Now the simultaneous interpretation is there. I can also inform the House that I have been all along a Tamil speaker and a Tamil Professor in my life. If I have to speak in English I cannot express in full and all my feelings; I can express only words. I also expect Shri Hanumanthaiya to speak in Kannada.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We love Tamil.

SHRI K ANBAZHAGAN : When I say that all the Indians do not know Hindi, it does not mean that I have any hatred for Hindi. When non-Hindi people are told that Hindi is going to be the official language of the country they begin to feel that a foreign language is going to rule over them. Bharatiya Jan Singh leader Shri Vajpayee said that he is for Hindi because English is foreign. Just as English is said to be a foreign language, Hindi is a foreign language for me. Andhra people are Indians, but Hindi is foreign to them. Kannada speaking people are Indians, but Hindi is foreign to them. I would stress that though politically speaking they are all Indians, Hindi is foreign to them, Hindi can not become my mother tongue; it cannot become a part and parcel of me. On the other hand if there is to be a second language for me, because of its usefulness it could be only English. For Hanumanthaiya, who was once the Chief Minister of Mysore, if there had been a second language for him, it could have been only English and not Hindi. In the same way, for a person coming from Punjab, or U. P. apart from his mother tongue if there has to be another language, much useful to him, it could only be English.

I would like to emphasise here that when you approach the question of official language for the whole country, you should not put forward the case on the basis of "majority language". When you say "majority language", we the minorities would always oppose. We would not accept Hindi as the official language. For instance, take the Chandigarh issue. Haryana is not willing to part with Chandigarh and Panjab is not willing to let Fazilka go to Haryana. Is the language question less important than issues like Chandigarh ?

Do you consider language issue based on the right of the people smaller than Chandigarh, than Fazilka, than any border dispute or any other river water dispute? It is something more than that; it is something fundamental. There is no other fundamental right which is more sacred than the right of the people to protect their own language and to choose a useful official language.

On this basis I would say that for the people in the South Hindi could be only a regional language. There is nothing to prevent those desirous of learning Hindi also along with other languages which they want to learn, but even those people cannot be compelled to learn Hindi.

Against the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru the Government of Indira Gandhi has been vigorously engaged in the task of propagating and imposing Hindi. The staunch supporters of Hindi like Shri Seth Govind Das may not realise this. He may complain that Hindi has not been introduced in all the offices. I would assert that it will never come in all the offices. Not only during his life-time but even in the lifetime of his grand-son, for another 50 years Hindi will not come to be used. But, only in regions where the mother-tongue is not developed another language can get in. So long as the regional languages have not completed the process of development any other language might have spread. At one time it was said that English was spreading but even then it could spread among 2% or less of the people only in 150 years or more. The reason for spreading of English was that the mother-tongue in the regions had not developed as it is today. When the regional languages did not grow, where not effectively used, that was the time when English was introduced and it spread. But even if English becomes a secondary language in importance when compared with the regional language... (*Interruptions*)

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : May I say that he is devoting more time to the question of language which I thought was dead now.

SHRI K. ANBAZHAGAN : It is not dead. It is a life and death problem for us. The Central Government servants in the

South are being compelled to learn Hindi. They are being asked to study Hindi. This is resented by the Government employees; it is against the assurance given by Jawaharlal Nehru. There is no greater democrat than Pandit Jawaharlal Nehru. I would like to quote here the assurance given by Nehru and charge that that assurance has not been fulfilled till today. "So long as the non-Hindi speaking people do not want Hindi, English will continue"—that is his assurance. The ruling party has misinterpreted it to mean that so long as the non-Hindi speaking States do not want Hindi, English would continue. The Centre-State relations is a different issue, on which I have several arguments to advance; I will come to it later; It is not merely to facilitate the relations between the Centre and the States. It is not only to facilitate the relations between the Centre and the States that Nehru gave this assurance. I will now read the assurance given by him. I quote :

"I would have it so not mainly because of the existing facilities, but because I do not wish the people of the non-Hindi areas to feel that certain doors of advance are closed to them, being forced to correspond in the Hindi language."

Then he goes on to say :

"They can correspond in English. I would have English as an alternate language as long as the people require it"—I repeat the words "as long as the people require it"—it and is not the State Government that is mentioned—and the decision for that I would leave not to the Hindi knowing people, but to the non-Hindi speaking people."

So this is not left to Acharya Kripalanf. The decision is not left to Seth Govind Das. This is not left to the people coming from Hindi region. Let not Hindi speaking people harp on it again and again. Let not the Hindi-speaking people repeat frequently the constitutional provisions in this regard. For giving up prohibition, the Constitution did not come in the way. They have not been able to guarantee to the people the fundamental rights enshrined in the Constitution. We are revising our constitution and our basic principles from time to time. In the

[Shri K. Anbazhagan]

same way, the people have gone far away from the thinking that Hindi should be the sub-official language of India. In view of this, the constitutional provision in this regard should be amended, as we amend the Constitution for various other purposes.

Along with the Official Languages Amendment Bill there was a Resolution moved in this House by Shrimati Sucheta Kripalani who is now in the Organisation Congress in the Opposition. Forgetting all the while that certain concessions were being given to Hindi-speaking people, she introduced by that Resolution that for the U. P. S. C. Examinations the candidates could answer all the answer papers in Hindi and they need not necessarily know English. There was no necessity of knowing English to attempt the Central Service Examinations. Knowledge of Hindi alone would suffice. That was the basis of that Resolution. At that time, Shri Sanjiva Reddy was the Speaker of the House. On behalf of the D. M. K. Party, I asked Mr. Chavan, the Home Minister whether it was not unjust, partisan and discriminatory. Mr. Chavan said that there was some discrimination, there was partisanship and he added that after some time the position could be reviewed. We did not want to be a party to such a discriminatory resolution and we staged a walk-out to register our protest; some other Party members also walked out. Mr. Chavan has not yet found time to review the situation. Nobody has given serious thought or understood the problem of official language. The ruling party has its own worries and they have no time to spare to attend to this most important question.

The former President of the All India Congress Committee, Shri Kamaraj, who now is in the Organisation Congress in Opposition thought of himself as the corner stone in the shaping of language policy in the Congress. I will inform the House what Shri Kamaraj is now telling the people in Tamil Nadu that whether the D. M. K. Party, which is opposed to having Hindi as the official language of the country, prepared to launch a struggle against Indira Gandhi Government on this issue? I am happy that he is raising this issue at least now. At long last he has become manly and is

showing his mettle. Earlier he was of the view that if Hindi became the official language of the country it was a problem for the educated and enlightened people only and not for the uneducated people of the land. The same Kamaraj has posed this question as to test D. M. K.'s preparedness for fighting the Indira Gandhi Government on this issue.

We are prepared to fight. But I feel that Shri Kamaraj and his ilk in the Organisation Congress are perhaps not aware of the struggle which we had waged in this regard. After the Official Languages Amendment Bill was passed here, the learned Anna, the then Chief Minister, convened a special session of the Tamil Nadu Assembly and moved a Resolution in this matter. This Resolution set out that in a multi-lingual country having diverse cultures Hindi alone cannot become the most dominant language at the cost of other languages and that the official Languages Amendment Act has done injustice to non-Hindi speaking people. This Resolution was passed unanimously disapproving the Official Languages Amendment Act. The Resolution did not stop here.

In the name of three-language formula Hindi was sought to be imposed and made the official language of the nation. In almost all the schools in Tamil Nadu we have stopped teaching of Hindi to students. In the name of unity of the country, the D. M. K. Government would not accept the imposition of Hindi and would not permit Hindi becoming the official language of the country. Similarly, in N. C. C. there were many Command Words in Hindi. The Tamil Nadu students, Kannada students, students from Mr. Poonacha's area and also from Mr. Sanjiva Reddy's area agitated against the use of Hindi command words. Immediately, our great leader Anna said that unless Hindi command words were given up and the use of English command words was allowed, the N.C.C. would be discontinued in Tamil Nadu.

The Resolution, to which I made a reference earlier on, was unanimously passed by the Tamil Nadu Assembly to register our protest against the official Languages Amendment Act. It could be called even as a constitutional deadlock.

It is against the express provisions of the Constitution. That is why we have said that we would not teach Hindi in schools and we would not allow Hindi command words in N. C. C. The Central Ministers, after holding prolonged discussions with the D. M. K. Ministers for a period of one year, decided to permit the use of English command words in N. C. C. This is really an achievement for the D.M.K. Party in power in Tamil Nadu. If Shri Kamaraj had come back to power in 1967, this would not have been possible to achieve. He would not have understood the gravity of the situation at all. The same Kamaraj is now asking whether we are prepared to launch a struggle against the Central Government.

We have tabled Amendments on these lines to the Motion of Thanks to the President's Address. The important amendments are :

"But regret that there is no mention in the Address of the failure of the Government to find a final and just solution to the official language problem".

"but regret that there is no mention in the Address of the demand for removal of the Chapter in the Constitution giving official status to Hindi and for suitable amendments to the Constitution in order to remove the present discrimination against and the additional burden on the non-Hindi speaking people, especially in the South".

If Dr. Ram Subhag Singh or Shri Morarji Desai, out of their regard for Shri Kamaraj, is prepared to support these two amendments, then I am also prepared to extend my support to the Organisation Congress.

We have no policy difference with the organisation Congress. If what Shri Kamaraj says now about the language issue becomes the policy of the Organisation Congress, we will stop our support to Indira Gandhi Government—though we genuinely feel that the Government at the Centre should not be toppled—and extend it to the Organisation Congress. Even if it may mean that the Government is toppled and the country may be in chaos, at least the language question may be solved,

On the contrary, the employees of the Central Government in Tamil Nadu have been compelled to learn Hindi during office hours and their absence from Hindi classes will be deemed as absence from duty according to a G.O. issued recently. This is the latest circular from here. If the Central Government tries to impose Hindi under the impression that the people have forgotten this grave problem, it might even pose a threat to Indira Gandhi Government. Whoever be in power in the Central Government, unless they give up the attitude of Hindi imperialism and start functioning in a democratic spirit which we have accepted as a basis of our functioning the democratic way of life—we will not extend our support to anyone. Our attitude is reciprocal. If we cooperate, support or oppose, it is all done on the basis of certain principles. At the time of passing of Official Languages Amendment Act, Shri Kamaraj was the President of the original Congress and there were three Members from Madras with him. None of them opposed the Bill then. I hope, now at least Shri Kamaraj and his organisation Congress will extend their support to the two Amendments which we have tabled on the Motion of Thanks to the President's Address.

I chose to speak in Tamil so that all the Members may appreciate our sentiments regarding language issue.

श्री सीताराम केतरी (कटिहार) : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सरकार को चेतावनी और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि समाजवाद की स्थापना की जो परिकल्पना है, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी स्थापना में जितना भी विलम्ब होगा उतना ही हम गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। आप जानते हैं कि आज हर देशवासी जो कि मत देने का अधिकार रखता है, उसे इस बात का ज्ञान है कि हिन्दुस्तान की सरकार का निर्माण हमारे द्वारा होता है। जब वह देखता है कि उसकी रोटी और दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उसके अन्दर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि इस

[श्री सीताराम केसरी]
 असंतोष के विभिन्न रूप होते हैं। यह असंतोष हिंसात्मक रूप भी धारण करता है। आज आप देखते हैं कि देश में चारों ओर एक हिंसात्मक वातावरण पैदा हो रहा है जिसको हम उपद्रवकारी तत्व के नाम से कोसते हैं। उसके पीछे यही भावना निहित होती है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के भाषण में हमने जो एक घोषणा की है उसकी पूर्ति में हम अपनी पूरी ताकत लगायें ताकि गरीबों की समस्यायें हल हों।
 ... (व्यवधान) ... अगर आपने झोपड़ी में रोशनी नहीं की, झोपड़ी में रहने वालों के पेट खाली रहे तो आप याद रखिए कि उनके असंतोष के रहते न यह सरकार जीवित रह सकती है और न विधान ही जीवित रह सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी विधान होता है या जो भी संविधान बनता है वह देश के सभी देशवासियों, गरीबों और अमीरों के लिए समान होता है। हमारे यहां अगर एक भी व्यक्ति भूखा रहता है, उसको कपड़ा नहीं मिलता है या उसके निवास का प्रबन्ध नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विधान में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि हर देशवासी के खाने, पहनने और आवास का प्रबन्ध हो सके। अगर यह नहीं होता है तो मैं समझता हूँ उस विधान को बदलना चाहिए ताकि देश में समाजवाद की कल्पना और समाजवाद की व्यवस्था स्थापित हो सके।

एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे दोस्तों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो तरीका और रवैया अस्तित्वार किया, मुझे जो के साथ कहना पड़ता है कि उनमें कुछ भाषण व्यक्तिगत आधार पर हुए हैं। कल यहाँ डॉ० साहब ने भाषण दिया। मैं डाक्टर साहब का बड़ा आदर करता हूँ, मगर जब मैं देखता हूँ कि वह अपने भाषण में व्यक्तिगत आधार पर उतर अते हैं तब मुझे बहुत कष्ट होता है दुःख होता है। डाक्टर साहब

ने अपने विद्वास का आह्वान किया है और कहा है कि प्राईम मिनिस्टर जिस पर दस्तखत करती हैं उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। डाक्टर साहब ने मांग की कि राजस्थान और हरियाणा में जो गोली चली उस के लिए एक एन्ववायरी कमिशन बिठलाया जाय। जब डाक्टर साहब रेल मंत्री थे तब उन के समय में कितने ही एक्सीडेंट हुए, कितने ही यात्री बेचारे मौत के घाट उतर गये, लेकिन कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आया। उस समय कभी उन्होंने जुडिशल एन्ववायरी की बात नहीं कही।

डा० रामसुभग सिंह (बचसर) : हर एक की एन्ववायरी की गई।

श्री सीताराम केसरी : जब वह मंत्री थे तब यह सरकार अच्छी थी और बार बार उस को उन का समर्थन मिला, लेकिन आज जब डाक्टर साहब सरकार से बाहर चले गये हैं तब वह बुरी हो गई, वह निकम्मी होगई। केवल इस लिये कि आज डाक्टर साहब उस में नहीं हैं।

16.31 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair.]

मेरा खयाल है कि अब भी डाक्टर साहब की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अभी भी उन को लालच है कि गद्दी पर शायद उनको आना हो

डा० रामसुभग सिंह : तुम्हारे स्टैन्डर्ड के आदमी को कुत्ता नहीं पूछेगा तुम्हें जानती है सारी दुनिया।

श्री सीताराम केसरी : डाक्टर साहब को हम अच्छी तरह से जानते हैं। डाक्टर साहब अंग्रेजी के विद्वान हैं, अंग्रेजी के डाक्टर हैं, एक दिन वह बोले कि आई शैल नाट अलाऊ कटाओ माई गर्बन। मगर कल मैंने देखा कि वह बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। मैंने समझा कि शायद अशोक मेहता ने उनके लिये

डाक्टर बना दिया होगा और उस को उन्होंने अपने रूप में पढ़ दिया होगा।

डा० राम सुभग सिंह : यह स्टैण्डर्ड इन का है।

श्री सीता राम कंसरी: यह ठीक है कि वह विद्वान डाक्टर हैं। मुझे कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, कुत्ता तो उन्हीं के पास है। हमें नहीं पूछेगा कुत्ता ... (व्यवधान)... डाक्टर साहब कुत्ते की तरह भूक रहे हैं, इस का उदाहरण देख लीजिए। जब डाक्टर साहब रेल मंत्री थे तो वह रोज लोगों से कहते थे कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे मुनत आनी, समझत आनी, फैलवा में देखत आनी, होई काम मगर घबराय की बात नखै/ मगर होता कुछ नहीं था। यही है डाक्टर साहब का भरोसा। मुझे दुःख है कि वह व्यक्तिगत आधार पर सारी राजनीति को ले आये हैं।

दूसरी बात मैंने आपसे कही कि अभी हाल में डाक्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि यू ए आर जो लोग गए हैं उनके बारे में उनसे राय ली जनी चाहिए थी। डाक्टर साहब जानते होंगे, वह विद्वान डाक्टर ठहरे, कि बहुत से लोग जो मेम्बर पार्लियामेंट होते हैं वह जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जहां भी जाते हैं वह जानते हैं कि वहां उनकी जिम्मेदारी क्या है। आप भी बहुत जगह गये होंगे। आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। कोई जरूरी नहीं है विरोधी के नेता से हर जगह पूछ कर कोई संसद सदस्य विदेश जाय, विरोधी दल के नेता की अनुमति से जाय। मैं समझता हूँ कि उनका यह स्टेटमेंट निराधार है और संसद सदस्यों के सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है।

दूसरी बात यह है कि अभी हमारे श्री पाटिल ने कहा था कि प्रधान मंत्री ने एक स्लोगन, एक नारा लगाना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूँ कि नारा किस ने दिया है। बम्बई से जाने के बाद जब वह गुजरात से जीत कर

आए तब वहां उन्होंने नारा दिया कि ही बिल टन दी टेबल ! उन्होंने नारा दिया कि सरकार बदल देगे, उन्होंने नारा दिया कि नेता बदल देगे, उन्होंने नारा दिया कि एक नई समाज व्यवस्था लायेगे। लेकिन हुआ क्या ? खुद उनकी गद्दी उलट गई और टेबल टर्न हो गई। कुछ और लोगों के साथ वह विरोधी दल में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वह देश के बहुत बड़े त्यागी और तपस्वी नेता रहे हैं। मगर उन्होंने ऐसी नीति एडाप्ट की, ऐसा तरीका अख्यार किया, ऐसा रास्ता एडाप्ट किया जो कि समाजवादी व्यवस्था की कल्पना को चकनाचूर करने का रास्ता था। नतीजा क्या हुआ, आप जानते हैं।

आप को पता है कि जन-तन्त्र में सर गिने जात हैं, जन-तन्त्र में संख्या गिनी जाती है, किस की संख्या ज्यादा है वह गिना जाता है। हुआ यह कि वह बैठ गये और हाई कमल के नाम पर लिख दिया कि प्रधान मंत्री को हम ने निकाल दिया। कितने वच गए 62/284 में से 62/62 लोगों ने प्रधान मंत्री को संगठन से निकाल दिया। आज तक बहुमत के सामने हमेशा अल्पमत ने सर झुकाया है, मगर डाक्टर साहब ने यह नहीं देखा।

डा० राम सुभग सिंह : इतनी समझ होनी चाहिए कि वर्किंग कमेटी ने निकाला था। श्रीमती इन्दिरा गांधी कितनी ही दौड़ती रहीं, लेकिन उनके साथ सात मेम्बर गये और इधर 11 रहे।

श्री सीता राम कंसरी: डाक्टर साहब हमेशा गिन कर आते रहे बहुमत के साथ, इस बार गचक्का खा गये। हुआ क्या कि देखा कि हम निकाल रहे हैं और बहुमत हमारे साथ हो जायगा। मगर वह अल्पमत में रह गये। कभी भी डाक्टर साहब नहीं जाते, वे हमारी कैबिनेट में ही रहने, गिनती में गचक्का खा गये... (व्यवधान)

[श्री सीता राम केसरी]

मैं आप से कह रहा था कि देश में आज जो परिस्थिति पैदा हुई है बंगलोर के बाद वह बड़ी दुःखद चीज है। मैं समझता था कि जन तन्त्र के आधार पर गिनती से जो फैसला होगा उस के बाद वह अच्छा रास्ता अख्तियार करेंगे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर जगह हमारी कांग्रेस, हमारी संस्था और हमारी सरकार के नेता पर व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने आक्रमण किया।

आपने अखबार में पढ़ा होगा कि डाक्टर साहब ने कहा था कि :

"The Prime Minister will meet her Waterloo in Bihar."

What happened in Bihar? Doctor Sahib met his Waterloo in Bihar, not the Prime Minister, यह तो हालत है। मैं आपसे कहूँ कि इस लिये मैं चाहता हूँ कि देश में एक ऐसा माहौल पैदा हो जो मर्यादा का हो, इज्जत का हो, सम्मान का हो। ऐसा माहौल पैदा न हो कि दिन पर दिन विटरनेस पैदा हो। जितना सिडिकेट के लोग क्रोध में बोलेंगे, डाक्टर साहब बोलेंगे, श्री पाटिल बोलेंगे, उतना ही लोग समझेंगे कि चूँकि यह लोग सत्ता से बाहर हैं इसलिये इस तरह से बोलते हैं। आज सारे मुल्क पर इस बात का प्रभाव पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों को रोकना चाहिये।

आज जो सामाजिक समस्या है वह शिक्षित वर्ग की है। हमारे यहाँ तकरीबन पन्द्रह लाख शिक्षित बेकार हैं। उनके लिये सरकार को अविलम्ब इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे बेकारी दूर हो जाय। दूसरी बात यह है कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये, औद्योगीकरण होना चाहिये। मुल्क के बहुत से लोगों के पास धन बन्द पड़ा हुआ है। आप उन लोगों को ऐसा इन्वेस्टिव दीजिये जिससे वह धन बाहर आये, मुल्क में दिन प्रति दिन

इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, औद्योगीकरण हो, उद्योग घन्घे बढ़ें ताकि जो बेकारी की समस्या है, जो किसानों का मसला है, उसका समाधान हो और बेकारी होने के कारण चारों तरफ जो हिंसा का माहौल हो रहा है उसका अन्त हो। यदि आप बेकारी की समस्या को हल नहीं करेंगे तो हिंसा का वातावरण आप देख रहे हैं उसमें कमी नहीं आयेगी। यह जरूरी है कि आप इस तरह का रास्ता अख्तियार करें जिससे औद्योगीकरण हो क्योंकि उससे फायदा यह होगा कि जो शिक्षित बेकार हैं वह नौकरी पायेंगे। तब आपके सामने यह समस्या नहीं रहेगी।

आज सँकड़ों बातें कही जाती हैं विदेशों के सम्बन्ध में कि बहुत से देशों से हमारी दोस्ती नहीं रही। मेरा ख्याल है कि यह बात गलत है। अभी मैं कैंरो गया था। मैंने देखा कि इजिप्ट के लोगों में हमारे देश के प्रति आतृत्व की भावना है, सद्भावना है, दोस्ती है, ऐसा फ्रेंडली रिलेशन है जो पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ है। मैं इजिप्ट में कैंरो गया, एलैग्जेंड्रिया गया। ज्यादातर जगहों में देखा, आम लोगों से बातें कीं। मैंने देखा कि उन लोगों में हमारे देश के प्रति एक प्रेमपूर्ण भावना है, अच्छा विचार है। वह समझते हैं कि जो हमारे देश का नेतृत्व है, उसके आधार पर हमारा देश डिमाक्रेसी में आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ जो उनका सद्भावपूर्ण बरताव होना चाहिए वह है।

आप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूँ। अगर कोई भी मुल्क अपने इर्द गिर्द लड़ाई लड़ता है तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। अगर मुल्क को तरक्की करना है, आर्थिक अवस्था को मजबूत करना है, बुल्न्द करना है तो आस पास के देशों से हम को सद्भावना रखनी होगी, दोस्ती रखनी होगी।

मेरे विचार से अगर चीन के साथ भी समझौता हो सके तो करना चाहिये, पाकिस्तान के साथ समझौता हो सके तो करना चाहिये। यदि आप दो पड़ोसी राष्ट्रों को अपना विरोधी बना कर रखेंगे तो मेरा नहीं ब्याल कि दुनिया का कोई भी बड़ा देश इसको पसन्द कर सकता है, रूस या अमरीका भी इसकी पसन्द कर सकता है। भारत का जो रूप प्रकट हो रहा है, भारत जो विशाल रूप धारण कर रहा है, जिस तरह से यहां प्रजातंत्र बढ़ रहा है, भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, कोई भी इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसको उस अवस्था में अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। इस वास्ते इनको जो हमारे विरोधी राष्ट्र हैं उनसे भी दोस्ती बना कर रखनी होगी। यदि हमने ऐसा किया तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी वार्षिक उन्नति होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी और हम मजबूत होंगे।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीमा प्रदेश हैं उनकी सीमाओं पर भी हम को सतर्क रहना होगा। जैसे नागालैंड है, जैसे असम है, या दूसरे सीमायी राज्य हैं, वहां पर हमें खास ध्यान देना होगा। नेपाल, अफगानिस्तान आदि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण होने चाहियें, भ्रातृत्वपूर्ण होने चाहियें, उनके साथ हमें सुन्दर सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें। ऐसा करना देश का विकास करने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए, आन्तरिक मसलों को हल करने के लिए, वेकारी की समस्या को हल करने के लिए, भूख का नाश करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि देश बीच के रास्ते से चले। देश किसी भी व्यवस्था में आसपास के राष्ट्रों को, नजदीक के राष्ट्रों को दुश्मन बना कर न रखें। यदि दुश्मन बना कर

हमने उनको रखा, तो इससे हमारा अहित होगा। अमरीका भी हमारा दोस्त है और रूस भी हमारा दोस्त है। जब हम ऊँचे उठ जायेंगे तो उनके हृदय में भी हो सकता है कि घबराहट पैदा हो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एशिया के इस भाग में एमर्ज कर रही है, प्रकट हो रही है। लोकतंत्र और लोहाहाही पर आधारित यह सरकार जब मुखर होगी, जब यह देश ताकतवर होगा तो अमरीका भी इससे घबरायेगा, रूस भी घबरायेगा, चीन भी घबरायेगा और पाकिस्तान भी घबरायेगा। अमरीका की कोशिश तो यह रहेगी कि हम चीन से भी लड़ते रहें और पाकिस्तान से भी लड़ते रहें। यदि ऐसा होता है तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। यदि हम युद्ध में या उसकी तैयारी में लगे रहे तो देश की तरक्की नहीं होगी, देश का विकास रुक जाएगा, मुक्त नहीं बन पाएगा। मुक्त को बनाना है तो हम को भूठी प्रतिष्ठा को त्यागना होगा, प्रतिष्ठा की कुर्बानी भी उसके लिए कभी कभी करनी पड़ती है और गुस्से को भी पीना पड़ता है। जब तक गुस्से को नहीं पिया जायेगा मुक्त नहीं बन सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा न करें, हम अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा न करें। सीमाओं की तथा अपनी सार्वभौमिकता की हम को रक्षा करनी होगी।

यह आश्वासन दिया गया है कि चन्द वर्षों में या चन्द महीनों के बाद हम बाहर से अन्न का आयात बन्द कर देंगे। यह एक प्रसन्नता की बात है। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने यहां इतना अन्न पैदा करें, इतने वस्त्र पैदा करें, इतना ज्युट पैदा करें, इतनी दूसरी वस्तुयें पैदा करें कि इनको विदेशों में भेज कर हमको विदेशी मुद्रा, फारेन एक्सचेंज भी मिल सके। देश की आर्थिक बुनियाद को ऊंचा करने के

[श्री सीताराम केसरी]

लिए, उसको मजबूत करने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North-East) : Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful for the charming interlude furnished by the mellifluous Tamil eloquence of my friend, the leader of the DMK, and I am glad he has spoken in his own language. But I would like to add that I am waiting for the day when provision for simultaneous translation in all the languages in the Schedule to the Constitution would be here so that we can all speak in our own languages, because otherwise, as Mr Anbazhagan has said, we cannot fully express ourselves. However well or badly we know English, it is not a language which we learnt at our mother's knee, and it is important that in Parliament facilities for speaking in our own languages are provided.

I have heard the roar of the heavy artillery trained on Government by the Syndicate-Swatantra Sangh combine, and you know that my party and I stand in a position which is poles apart from that which is held by that combine. But I am afraid as far as this Address is concerned, I find little to enthuse over it. There is a certain element of studied buoyancy, some talk of a new sense of direction and purpose as well as realisable goals, but it strikes me as somewhat phoney and futile. I say it because the President concludes with a reference to "great expectations" among our people. But it is exactly these expectations we find little evidence of genuine fulfilment in the Address. I do not mind Government determining to build "brick by brick"—to use the President's words—a society which is democratic and socialist. I know the task is long and hard—again the President's words—but a snail's pace movement in this quick changing age is not the right thing.

I recall that Subhas Chandra Bose, as Congress President, appointed a national planning committee and he said, our country could have a forced march; otherwise, we

cannot get to grips with the world's problems. I remember how Jawaharlal Nehru used to say, particularly towards the end of his life, that we have to hurry. But in the Address, there is no suggestion of this sense of hurry, which the country wants this Government to implement. This Government has got the support from large sections of our people because our people have got an idea that this Government will go ahead fast enough to satisfy their expectations. And, it is about that that I do not find very much to enthuse over in the Address.

My friend, Mr. Ranga said, there is no mention in the Address of the Gandhi Centenary, which was perhaps the biggest event from the Indian point of view in the last year. There is a very valid reason for it—a sense of shame. Even the provision of drinking water for our villages, which at one time before the Gandhi Centenary Celebrations it was projected would at least be made this year, has not been made yet and possibly out of a sense of shame, the President did not refer to the Gandhi name.

The Address also bristles with many statements. One of them is "perceptible increase in the standards of living", but it is not true. Only on the 25th February, i.e. yesterday, Unstarted Question No 401 elicited the reply that *per capita* national income in 1966-67 was Rs. 302.4; in 1967-68 it was Rs. 321.3 but in 1968-69 it came down to Rs. 319.3. So, this is not the right sort of thing to say in the President's Address. In the Rajya Sabha on the 21st July last year, a question elicited the answer that the *per capita* availability of foodgrains in 1968, the year of the so-called green revolution, was Rs. 1966-67 kg. or 3.7 per cent less than that in 1965, when this availability was 173 kgs, cotton cloth, edible oils and the sugar consumption fell by 11 per cent and so many other figures were given at the same time. On the other hand, conspicuous consumption of such things as motor cars, air conditioners, refrigerators, confectionary and art silk fabrics has increased a great deal. That is not an evidence of increase in living standards as far as the people are concerned.

I find again at another place a reference, which I am constrained to call sanctimonious, to manifestations of violence.

I am glad that the shame of Ahmedabad and the communal riots which took place was just referred to in that paragraph. But there is no indication of an attack of those nefarious communal reactionary chauvinists who with their slogans like "Indianisation" of non-Hindus in India are pursuing a dirty and dastardly policy of provocation for communal riots. I say this in spite of my friend, Shri Vajpayee, who with his spell-binding oratory has tried to give an interpretation of Indianisation to make it acceptable to everybody. Indeed, I have no sinnerometer to measure his sincerity in regard to his conception of whatever he says. I judge people by results and I judge the Jansangh, and also their friends of the Swatantra Party combine, by what they are doing from place to place. And Ahmedabad continues to be a shining example of the squalor and disgrace to which we are reducing our country, whatever might be the high-sounding shibboleths which can be explained away in an oratorical fashion on the floor of Parliament. There is no doubt about it.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : But why bring in the Swatantra Party? We have openly repudiated that statement.

SHRI H. N. MUKERJEE : I have absolute conviction, whether you agree or not, that the anger of our people has got to be concentrated against whatever goes against the humanity of this country and the unity and integrity of its people. But, as far as the President's Address is concerned, it reserves its anger not for the communal chauvinists but for certain extremist political groups. The stress is political rather than communal. I am quoting his words :

"While we are anxious to remove genuine causes of social discontent, violent activities have to be dealt with firmly."

It is true that violent activities have to be dealt with firmly. But you put the cart before the horse. Dr. Chandrasekhar, one of the Ministers of Government, made an under-statement when he said something which was largely true. He said that 60 million of our people are hungry when they try to get some sleep overnight. I have got here a question which was answered in this

House only on the 23rd February, Unstarred Question No. 5, according to which 14,000 children go blind every year in the southern and eastern regions on India on account of deficiency of Vitamin A in nutrition. This country is still an area of darkness and yet the government has the gumption to inveigh against the poor because of violence on the part of our supremely patient people. This is just putting the cart before the horse.

I now turn to the question of the Supreme Court striking down the Bank Nationalisation Act which, to my mind, is not something quite unexpected as far as the government is concerned. Yet, Government responded to it with a half-hearted Ordinance. In spite of today's faster changing political atmosphere, government is inhibited from taking any action against the vested interests. The money-changers, far from being lashed out of the temple, threaten to be brought in again. The Supreme Court majority, perhaps without intending it, had on a common sense reading of its judgement, provided government with an opportunity to acquire for the nation the rest of the banking undertakings in the country, including the foreign ones, but the opportunity has been carefully thrown away. By doing only the minimum repair essential for re-floating the boat of nationalisation, government has acted as, what the Americans call, the strict "constructoinist", in regard to the Constitution.

I do not know, perhaps in terms of temporary political arithmetic, in which the Prime Minister seems to be so proficient, government has discovered some advantage in whatever proceeding which the government is now taking,—perhaps governments idea is to keep many options open on many different sides ; I will not expand upon it—but if that is so, it bodes ill for the country, and if there is betrayal of the peoples' widely roused expectations, it will not be forgiven.

Meanwhile, thanks to the Supreme Court, some private sharks will be reacher and immediately so by at least an extra Rs. 25 crores, for which the budget will have to provide.

What is worse, this money will not go to the individual shareholders but to the

[Shri H. N. Mukerjee]

companies; that is to say, to the directors of the erstwhile undertakings who will get this bonanza of Supreme Court given funds and do what is delicately called "other business" for which the Supreme Court has opened the gate wide for them.

In the meantime the country's needs cry out. I come from Calcutta, with its city and the environs, which is India's great asset almost dying today. They need national assistance but no monies with Delhi would not be available for that sort of purpose. It will rather go to the sharks of big finance.

This is not merely in order to pinpoint the Government's defaults that I say this but a supremely national problem has been put on the agenda of the day by the action of the Supreme Court. The Supreme Court's interpretation of the Constitution not only in this country but particularly in the USA, which in regard to written federal constitutions of our type is so often quoted, has often been quite a hurdle in the way of action for economic development, particularly economic development which is based on the people's will.

In the United States of America, for example, from 1890 to 1936 the Supreme Court pitted its own prejudices against all legislative attempts to regulate the excesses of Industrialism. Our Supreme Court, with all respect to it, is emasculating whatever looks like far-reaching socio-economic legislation.

I recall how President Roosevelt had said in regard to the Supreme Court's striking down absolutely necessary legislative measures. He had said at that point of time :—

"We have reached the point as a nation where we must take action save the Constitution from the Court and the Court from itself: We must find a way to take an appeal from the Supreme Court to the Constitution itself. We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution, not over it."

In regard to what the Constitution says it is not merely the judicial pundits who will give their interpretation. Those who

have a great deal more to do with the real implementation of the constitutional provisions, which means Parliament, must have a say in regard to it. I recall Jawahar Lal Nehru having said at one time :—

"No Supreme Court, no judiciary, can stand in judgment over the sovereign will of Parliament representing the will of the entire community. It can pull up that sovereign will if it goes wrong but in the ultimate analysis where the future of the community is concerned, no judiciary can come in the way. Ultimately, the fact remains that the Legislature must be supreme and must not be interfered with by the courts of law in such measures as social reform."

The latest decision of our Supreme Court necessarily leads to the conclusion that in effect Parliament has no power even to abridge property rights in the interest of the people. The country is now confronted with a dilemma. Legislation scrapping the power of property is liable to be struck down because property right is a fundamental right. On the other hand, there can be no amendment by Parliament of the fundamental rights so long as the six to five majority decision of the Supreme Court in the Golak Nath case stands. This dilemma has got to be settled and it cannot wait upon some future contingency when the Supreme Court does or does not change its decision. Something has got to be done.

There is a tendency on the part of lawyers to be on the side of stability and static conditions. The late Oliver Wendell Holmes, Supreme Court Judge, highly celebrated in American history, said that the "inarticulate major premise" of all Judges seems to be the upholding of whatever is the present economic order. When that present economic order itself is to be changed, we cannot depend upon the good wishes, the behaviour of the Judges and the country has got to intervene.

I know that Government is trying to go slow. To a certain extent I can understand that the Government cannot in a huff do something which might be thought to be the people's real desire. The Government for the time being, I can understand, is trying to avoid a certain confrontation. But

the crux of the matter remains and will have to be tackled; the sooner, the better. And that is the Supreme Court view of socio-economic measures which must come. Unless that matter is decided, all talk of socialism is so much abracadabra. So, we must proceed to do some drastic overhauling of the Constitution. Exclusion of the right to property from the Chapter of Fundamental Rights is something which is being asked for from different quarters today. I would say, let us get on as soon as we can with Mr. Nath Pai's Bill even though I know it will be no solution of political problems that are being shot up to the order of the day by the Supreme Court judgments. Let us overhaul the Constitution. Let us begin the process. It is a long process of overhauling the Constitution. Let us do away with the dichotomy between Fundamental Rights and Directive Principles. The will of the people will prevail or violence of a sort might erupt compared with which the violent happenings of today would be like a tea-party,

17 hrs.

There are so many of the constitutional problems also. The question of Statehood for Manipur, for Himachal Pradesh and for Tripura are demands which have certainly to be conceded if justice is to have its satisfaction. There is the question of Centre-State relationship which was implied so very vividly and vibrantly in the speech of the leader of the D.M.K. a little while ago. That has to be looked after. Then, there is the problem of having a Meghalaya-type of sub-State for areas like the Nepali-speaking region in West Bengal. That kind of problem will have to be tackled. Therefore, it is very necessary that we go to the whole question of overhauling the Constitution.

This brings me to the question of the princes and their privy purses and other privileges. How long, I ask Government, because the country is impatient, must this issue hang fire? What is the precise connotation of Government's placatory assurances regarding transitional arrangements? I don't understand. I heard my hon. friend Mr. S. K. Patil, Naturally, he is

the paladin of the Syndicate forces. He defended the princely order. We have friends, as far as princes are concerned, personally speaking but on a matter of principle, we have to take our stand. What is it that we are thinking of? Mr. Patil talked about what Sardar Patel had done and how we should be eternally grateful to him and how we should not go back on whatever word was given by him. With all respect to Sardar Patel, I would say, it was not only to him that we should pay our tribute for the integration of States but much more should our tribute go to the struggling people of the Indian States who fought and gave their lives and by their own blood, they cemented the intergration of States. It was because of the movement of the peoples in different States and not because of the diplomatic manoeuvres at the top that the princes had to agree. Otherwise, they would not surely have agreed. Take, for instance, Travancore. They wanted to have a separate independent State. Hyderabad took an attitude which we cannot easily forget.

Let us not talk too much about the patriotism of the princes and the supreme wisdom of Sardar Patel. Let us talk more about what our people did at the point of achievement of freedom and what their expectations were. Why should this anomaly of princely privileges and similar things continue? I take it that the princes, born princes for no fault of theirs, are proud people; I take it they are self-respecting people; I take it that they should be fed up with the endless goings-on between them and the Government. Why can't they tell the people that they have had their innings for a long enough period and that now they are bowing out and would no longer cost a penny to our poor country? On the contrary, some of them would prefer hanging about in the corridors of the Prime Minister's Secretariat or at a later Stage of the Supreme Court for justice. It is a foolish proceeding that is going on. I ask the Government: How is it that Government is not fulfilling a promise given to Parliament after the A. I. C. C. resolution? I think, it is more than two years old and nothing has been done in the meantime. The Government must move at once. The privileges of the ICS must go just as the privileges of the Princes must go.

[Shri H. N. Mukerjee]

Art. 314 wherein the appointees of the Secretary of State are singled out for a very special treatment also should go.

The abolition of the privy purses is a symbolic gesture. It does not involve a lot of money but even so it is important and, therefore, it cannot be delayed. But I think even more important is the determined attack on monopoly and economic privilege which must be begun at once. The recent concession to the Birlas over the Goa fertiliser plant will need a lot of explanation from Dr. Sen and his chief, the Prime Minister. It looks something of a sell-out because Birlas hold a mere 16% in terms of the investment and the rest is foreign capital from the United States Steel Corporation routed through an innocuous-looking subsidiary. The claim that the management will be entirely with the Birlas hardly camouflages the fact that United States private capital has entered a vital sector in a big way. Sir, it appears that the revised plan for the Mithapur fertiliser plant will be okayed soon and with 15 new fertiliser plants coming up, the big business houses—Tata Birla and all—will make up with the Government and live happily ever afterwards. It is some hope indeed. But they are forgetting one little factor, namely, the people. Perhaps this explains what my friend, Mr. Ranga, said yesterday with that crystal clarity of reactionary single-mindedness that he wanted a Government of all Parties except the Communists. Very good, Sir, let him have it as soon as ever he can. But whatever the big idea on Mr. Ranga's part, the Government is on test. The Government must remember that it has got a remarkable accretion of popular support on account of a singularly courageous breaking away from the most egregious and reactionary elements in the Congress. But it is on test because of the power of the people and it will be judged on the basis of its real work. It must not continue to be only the lesser evil to be tolerated—the lesser evil than the people represented by the Syndicate, Swatantra-Sangh axis towards which some of my friends from SSP after their confabulations at the Sonepur fair appear to be gravitating. If that happens, then it will forfeit all popular support, and I give this warning to the Government.

I shall refer only very briefly to a few aspects of our foreign policy. At page 16 of the President's Address, I find that it notes about Vietnam :

"In Vietnam, the hostilities still continue. My Government have consistently advocated the withdrawal of all foreign forces so that the people of Vietnam are able to fashion their own destiny with out any outside interference."

Again, how judicial! How terribly judicial! And how insensitive to the deepest human impulses, which to-day have produced an upsurge even inside the United States of America for the denunciation of US depredation in Vietnam. Jawaharlal Nehru's heart bled for the destruction of Guernica in the days of the Spanish Civil War. But Jawaharlal's daughter has not said one memorable word about the "My Lai" barbarity, not even about the American use of bacteriological and chemical weapons in Vietnam about which you can see evidence in the *Manchester Guardian* of the old days and now the *London Guardian* which is a pro-West newspaper. Since even over Vietnam, Government prefers diplomatic discretion to any kind of moral valour, it only follows that it hesitates over the full recognition of the German Democratic Republic and almost forgets that the Democratic People's Republic of North Korea is heroically fighting for years the United States' imperialist attack, attack which is against all of us, 'Gooks' because they call us 'gooks' of one kind or the other. To them whoever is an Asian is a 'gook' and, therefore, is not entitled to human treatment. I know India need not speak overmuch particularly when her capacities are limited. But, as a country which has known and experienced imperialist subjugation, we should not be petrified by fear. There are certain categorical imperatives of our foreign policy of peace and freedom which, unfortunately, find no place in the Address.

Sir, it is a pity that Government has not utilised the Address to concretise its programme for the people. The people have welcomed their breaking away from the more rapidly reactionary elements which used to compose and bring about the de-

composition of the old congress party and to that extent it has a tremendous responsibility. If, in all honesty, the Government seeks to bring some solace and relief to our people and some hope for the country's future, it will have our support. But if the Government fails, if the Government refuses to take the necessary steps, the position will be entirely different.

The Government have a good deal of the people's sympathy today, because, we all see how the Syndicate-Swantra-Jan Sangh combine waits avidly to pounce upon power. But let the Government read the writing on the wall. Let the Government realise why it was that in the days of bank nationalisation, when Mararji Desai was pushed out of the Cabinet, the people come over enthusiastically to support Indira Gandhi. It was not merely a hallelujah for Indira Gandhi as an individual. But it was the desire of the people for something new, something which would break fresh ground which would make something which would put an end to the rot and the corruption which has percolated into every aspect of our public life. It is that expectation which remains to be fulfilled. That is the writing on the wall. Let Government read the writing on the wall so that our people really and truly can turn over a new leaf in India and its history. In the meantime the President's Address is here, by no means an inspiring document, sometimes trying to be very buoyant, but it does not satisfy the people, and I do not think it would satisfy Parliament unless Government comes forward and gives some evidence of its real, tangible desire to do something objective for the good of our people.

श्री जी० बंकेटस्वामी (सिद्धिपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूँ लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हैदराबाद में तेलंगाना के जो 300 लोग मरे, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं किया। तेलंगाना के सभी लोग यह समझते थे कि हिन्दुस्तान की हुकूमत और राष्ट्रपति जी उनके बारे में कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अब देखने में यह आया कि हमारी सरकार न सिर्फ

खामोश है, बल्कि वहाँ पर हुए एजीटेशन का भी उसने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले साल जनवरी में जब यह आन्दोलन शुरू हुआ था, शायद आप उस हादसे को जानते होंगे, तेलंगाना में रहनेवाले विद्यार्थियों ने यह समझ कर कि पिछले 13 सालों में उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जिस की वजह से उनके यहाँ बेरोजगारी बढ़ती गई, हजारों लाखों लोगों को नौकरी नहीं मिली, उन लोगों ने इस अन्याय को दूर कराना का फैसला किया और वे एजीटेशन की शक्ति में खड़े हुए तो सारे के सारे पोलिटीकल और जो बाहर के लोग थे, उनको उनके सहारे के लिये जाना पड़ा। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उन लोगों में था, 6 महीने तक वहाँ जो इन्टीग्रेशन कमेटी बनाई गई, ब्रह्मानन्द रेडडी की गवर्नमेन्ट को कायम रखने के लिये, आन्ध्र प्रदेश को कायम रखने के लिये—मैं खुद 6 महीने तक उनके साथ रहा। मगर आज उन लोगों के अन्दर यह फीलिंग आ चुकी है कि अब साथ रहना बहुत मुश्किल है। 107 करोड़ रुपया जो तेलंगाना क्षेत्र पर खर्च किया जाना था उसको आन्ध्र पर खर्च किया गया, जब चीफ मिनिस्टर, आन्ध्र प्रदेश से पूछा गया तो उन्होंने असेम्बली के पलोर पर कहा कि 107 करोड़ रुपया नहीं है बल्कि 35 करोड़ रुपया है। उसके बाद वहाँ के गवर्नर के एड्रेस में कहा गया कि 30 करोड़ रुपया आन्ध्र में ज्यादा खर्च हो गया है, जो तेलंगाना में खर्च होना चाहिये, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने भागवत कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कहा कि हम तुम को 45 करोड़ रुपया देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पैसे का नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया कि यह वहाँ की फीलिंग का सवाल है, सेंट्रीमेन्ट्स का सवाल है। वहाँ के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि अब उनको आन्ध्र में न्याय नहीं मिल सकेगा, अब वे पृथक् तेलंगाना बनाना चाहते हैं।

[श्री जी बेंकटस्वामि]

मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहता हूँ कि एस० आर० सी० कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पांच साल तक ये लोग मिल कर रहें, अगर पांच साल के बाद ये लोग मिल कर न रहना चाहें तो इनके लिये अलग से तेलंगाना स्टेट बन सकती है, ये लोग अलग से तेलंगाना स्टेट बना कर रह सकते हैं। जब एस० आर० सी० कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है तो मेरी समझ में नहीं आता, हमारी इन्दिरा गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया, उस पर क्यों नहीं चलतीं, क्यों वहां के चीफ मिनिस्टर ब्रह्मानन्द रेड्डी से डरती हैं। क्या इस वास्ते डरती हैं कि अगर उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो उनको सेंट्रल गवर्नमेन्ट से हट जाना पड़ेगा। मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारे तेलंगाना-वालों के सैन्टीमेन्ट्स के साथ वहां की स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ब्रह्मानन्द रेड्डी हैं, बल्कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनका ही साथ दे रही है, मजबूरन उसे ऐसा कहना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ के लीडर्स को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में पकड़ा गया, हजारों लाखों लोगों को पकड़ा गया, एक लाख से ज्यादा लोगों ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था, जिनमें मातायें और बहनें भी शामिल थीं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को, पार्लियामेंट के मेम्बरों को बुला कर कहा—इन्दिरा जी और चव्हाण साहब ने कहा—वहाँ पर वायलेंस को रूकवा दो, वहाँ पर जो बसें जलाई जा रही हैं, मारपीट हो रही है, उसको रूकवाओ, तब हम लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे और तब तेलंगाना प्रजा समिति की तरफ से हमारे नेता डा० चन्ना रेड्डी ने एलान किया कि अब हम को शान्त हो जाना चाहिये, स्कूलों में जाना चाहिये, कालिजों में जाना चाहिये और किसी तरह के एक्शन में नहीं जाना चाहिये

क्योंकि हम को विश्वास दिलाया गया है कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस मामले में कुछ न कुछ करेगी। 20 फरवरी तक का हमने वायदा किया था, लेकिन जब 20 फरवरी तक हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यही कहा गया कि 45 करोड़ रुपया देते हैं, अब खामोश बैठिये, इससे हम को बहुत चोट पहुँची।

जैसा मैंने अभी बतलाया, हम लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास है, डेमोक्रेसी पर भरोसा है, तो मैं समझ पाता कि आप लोग जनता की आवाज को क्यों रोकना चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने बार बार कहा है कि अगर आप को वहाँ के लोगों का विश्वास ही लेना है तो आप ओपीनियम पोल लेकर देखिये। अगर 90 फीसदी से कम वोट इस के हक में आये तो मत बनाइये, हम तैयार हैं।

तेलंगाना के लोग चाहते हैं कि एस०आर० सी० कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब पांच साल के बाद वे लोग मिल कर नहीं रहना चाहते तो उनका अलग राज्य बना दिया जाय, आप उनका अलग राज्य क्यों बनाना नहीं चाहते। क्या गवर्नमेंट यह समझती है कि ये लोग ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब इस तरह से नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 20 ता० को हैदराबाद में हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और दूसरे एम० एल० एन० को पीटा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ था। जहाँ पर हमारे 300 लोग मरे थे, उनकी निशानी, उनकी समाधी का स्टोन लगाने के लिये वहाँ पर गये थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ उन को पीटा। इस डेमोक्रेसी के जमाने में मेयर को भी पकड़ कर जेल में

डाल दिया गया, जो वहाँ की कारपोरेशन के रेजोल्यूशन पर अमल करने के लिये वहाँ पर गये थे।

मैं अपने अपोजीशन के भाइयों और अपने लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आप को गलत समझाया जा रहा है। मैं बड़ो नभ्रापूवर्क आप से कहना चाहता हूँ कि वह तेलंगाना के लोगों की आवाज है, वे लोग अब आन्ध्र में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वे लोग इकानामिकली बरबाद हो चुके हैं, वहाँ की हकूमत नहीं चाहती है कि उन को भी सविंसिज में नौकरी मिले। हम ने तीन सवाल सरकार के सामने रखे थे—एक तो यह था कि 107 करोड़ रुपया जो आन्ध्र पर खर्च हुआ है, वह फौरन तेलंगाना पर खर्च होना चाहिए। इतना ही नहीं जब 1956 में जैन्टिलमेन-एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त वायदा किया गया था कि हम लोग मुल्की-रूल को कायम रखेंगे और उसके लिहाज से हमारे लोगों को सविंसि में लेंगे। तेलंगाना पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे क्योंकि वह बैकवर्ड है।

यह वायदा किस तरह से पूरा हुआ? आप उनके एनाउन्समेंट के लिहाज से देखिए, जो कुछ उन्होंने ज्यादा खर्च करने का वायदा किया। कहा गया कि मुल्की रूल को लागू करेंगे लेकिन मिनिस्टर्स खुद अपने एक्वाइन्टमेंट्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुल्की रूल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म करवा दिया। ऐसी हालत में क्या हम इनसे मिलकर रह सकते हैं? आज तेलंगाना के नौजवान पारा होकर निकलते हैं लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। वे चित्ला चित्ला कर तंग हो रहे हैं। ऐसी हालत में तंग आकर हमारे पास सिवाय तेलंगाना के और कोई चारा नहीं रह जाता है। मैं आपके द्वारा इस सदन को और सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज जो आवाज तेलंगाना के अन्दर शुरू हुई है उसके बारे में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, चीफ मिनिस्टर यहां पर आकर यह बता

जाते हैं कि लोग खामोश हैं, उनमें कोई गजिटेशन नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि 20 फरवरी आखिरी तारीख थी उसके बाद मुसलमल पहले, और तीसरे रोज आप देख लीजिए कि हजारों दूसरे लोग मूवमेंट में आगए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी और जल्दी से जल्दी सेप्रेट तेलंगाना का फार्मेशन नहीं किया गया तो वहाँ के डेढ करोड़ लोग अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा स्ट्रिगिल करेंगे और सेप्रेट तेलंगाना लेकर रहेंगे। ... (व्यवधान)... मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि आज तेलंगाना के एक-एक गांव के अन्दर जो किसान हैं, उनका जो मूवमेंट है जिसके बारे में प्रेस में दिया जाता है कि वह पोलिटिकल स्टंट है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। एक साल तक कोई भी पोलिटिकल नेता इस मूवमेंट में नहीं गया लेकिन उसके बाद श्री चेन्ना रेड्डी और मेरे जैसे दूसरे लोगों को उसमें जाना पड़ा। अगर हम उसमें न जाते तो हमारा पोलिटिकल कैरियर खत्म था। तो यह अवाग मूवमेंट है और इस डेमोक्रेसी के अन्दर अवाग की आवाज को मानना ही होगा। मैं अपने सारे अपोजीशन के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कोई दूसरे इश्यूज पर हमारा आपका मतभेद हो लेकिन यह अवाग की आवाज है, तेलंगाना के लोगों की आवाज है, इसमें आप हमारा साथ जरूर देंगे। हमारी प्रधान मंत्री ने हमसे 6 महीने तक खामोश बैठने के लिए कहा। 6 महीने तक हम खामोश बैठे। लेकिन अब मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या हकावट है। ... (व्यवधान)... आज वही आवाज वहाँ पर हर तरफ साफ साफ सुनाई देती है, तेलंगाना के लोग यही सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इन्दिरा गांधी क्यों डरती हैं एक ब्रह्मानन्द रेड्डी के लिए? वहाँ लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मुसलमल तीन रोज से यही हो रहा है। ... (व्यवधान)... वहाँ की पुलिस के वजाये यहां से हजारों की तादाद में सेंट्रल पुलिस को ले जाया जाता है।

[श्री जी० वेंकटस्वामी]

इस पुलिस के ऊपर वहाँ जो लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है वह भी तेलंगाना का ही रुपया है। यानी तेलंगाना के पैसों से ही तेलंगाना के लोगों की जान ली जा रही है। सेन्ट्रल पुलिस तो यहाँ से भेजी जाती है लेकिन उस पर खर्चा करने के लिए तेलंगाना के बजट से पैसा दिया जाता है। मतलब यह कि तेलंगाना के बजट से तेलंगाना के लोगों को पीटा जा रहा है। 107 करोड़ रुपया तो पहले का ही है जो कि तेलंगाना से ले जाकर आंध्र में खर्च कर दिया गया और अब आज इस तरह से उसका सूद भी बसूल किया जा रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय सेप्रेट तेलंगाना देना ही पड़ेगा। ... (व्यवधान) ... प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को सेप्रेट तेलंगाना देना पड़ेगा अपोजिशन के भाई बोल रहे हैं कि हम उधर क्यों नहीं आ जाते। अगर हम उधर चले आये तो ब्रह्मानन्द रेड्डी और मजबूत हो जायेगा, इसीलिए हम उधर नहीं आते हैं। हम यहीं पर रह कर सेप्रेट तेलंगाना लेंगे। ... (व्यवधान) ... आप देखें कि वहाँ पर डेमोक्रेसी का कितना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। जो एम० एल० ए० हैं। तेलंगाना के उनमें से 20 एम० एल० एज० को - मिनिस्टर बना दिया गया है। यह बताने के लिए कि तेलंगाना के एम० एल० एज० पर हमारी मेजारिटी है। इसके अलावा 20 लोगों से और बोला है कि सेशन होने के बाद तुम को भी ले लिया जायेगा। इस तरह से वहाँ पर लोगों को लालच दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ वे लोग भी यह जानते हैं कि आइन्दा तो उनको इलेक्ट होकर आना नहीं है इसलिए अभी जो मिलता है मिनिस्टरी ले लो और मार लो। इस किस्म की रिश्तत वहाँ पर एम० एल० एज० को दी जा रही है।

अन्त में मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि यह तेलंगाना की जनता की आवाज है। वहाँ की जनता चाहती है कि सेप्रेट तेलंगाना हो। सेप्रेट तेलंगाना स्टेट की फार्मिशन के लिए इस सरकार को फौरन सोचना होगा। अब तक जो बिलम्ब हुआ वह हो चुका। यहाँ से दस हजार पुलिस वहाँ पर भेजी गई जिस पर तेलंगाना का पैसा खर्च किया गया। वह पैसा भी गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग पीसफुल मूवमेंट चलाना चाहते हैं इसलिए कम से कम यहाँ की दिल्ली की पुलिस आप वहाँ पर न भेजिए। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेप्रेट तेलंगाना देने में देर है तो कम से कम यहाँ की पुलिस वहाँ मत भेजिए। वहाँ की जनता खुद श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से अपना हिसाब किताब कर लेगी। अगर जनता की आवाज की कोई वेल्यू नहीं है तो भी आप वहाँ पर सेन्ट्रल पुलिस क्यों रखना चाहते हैं। इस डेमोक्रेसी में इस तरह से वहाँ पर पुलिस को ले जाना और वहाँ की जनता को लाठी और गोली से दबाना यह किसी तरह से अच्छा नहीं है। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए आप जल्द से जल्द सेप्रेट तेलंगाना स्टेट के फार्मिशन के लिए कदम उठाये ताकि वहाँ की जनता चैन से रह सके। वरना जैसे चंडीगढ़ के बारे में सन्त फतह सिंह ने जैसे बोला कि हम जलकर मरते हैं जैसे ही आपने वहाँ पर डिब्लेयर कर दिया, उसी तरह से मैं कहना हूँ कि तेलंगाना में एक नहीं बल्कि डेढ़ करोड़ फतेह सिंह हैं। क्या उनमें से एक एक जल कर मरेंगे तभी आप जनता की आवाज को सुनेंगे? अगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है तो वही हालत वहाँ पर भी होगी। मैं अन्त में गवर्नमेंट को वाणिग देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले को वह हल करे।

इन चन्द अलफाज के साथ, आपने मुझे जो वक्त दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया भ्रदा करता हूँ।

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हीरेन मुखर्जी के भाषण को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि उनके भाषण में 90 प्रतिशत भाग में तो सरकार की आलोचना थी लेकिन फिर मैं फेर में पड़ गया क्योंकि अन्त में जैसा वे बोले कि राष्ट्रपति के भाषण ने उनको बहुत प्रेरणा दी है। मुझे तो ऐसा लगा कि उनका दिमाग दुविधाग्रस्त है क्योंकि उन्हें अपने भाषण में समाजवाद की आरती उतारती थी या भारत सरकार की तारीफ करती यह सवाल हमारे सामने है। राष्ट्रपति का अभि-भाषण वास्तव में उनकी अपनी राय नहीं होती बल्कि भारत सरकार की क्या नीति है उसके बारे में किया जाता है। दो या तीन महीनों से मैं देख देख रहा हूँ कि इस देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के विधान में पूंजीवाद और समाजवाद में कोई अन्तर नहीं रह गया है, दोनों सिनानिमस बन गए हैं, दोनों प्रति-शब्द बन गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तीन दिन पहले हमारे के के शाह साहब ने बयान दिया है कि हमारे देश में साढ़े 8 करोड़ लोग बेघर हैं और 32 करोड़ लोग अनपढ़ यानी निरक्षर हैं। और 6 करोड़ लोग काम नहीं पाते हैं, बेकार हैं। जिस देश में साढ़े आठ करोड़ लोग बेघर हैं और रात को सोने के समय चाँद की ओर देखते हैं, उस देश में समाजवाद की बात कहना और कहना कि हम लोग समाजवाद ला रहे हैं बिल्कुल थोषी और नकली दलील है, यह मैं तर्क देकर बतलाना चाहता हूँ।

एक चीज में आप से कहना चाहता हूँ कि जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे तब क्यों उन्होंने एल आई सी का

राष्ट्रीयकरण नहीं किया था, इन्ग्लियल बैंक को स्टेट बैंक में परिणित कर उस का उन्होंने राष्ट्रीयकरण नहीं किया। जैसा श्री हीरेन मुखर्जी कहते हैं यह बहुत अभिभाषण इन्स्पयारिंग डाकुमेंट है, उनको उस ने बहुत प्रेरणा दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस में साढ़े आठ करोड़ बेघर लोगों को मकान देने के वास्ते और और साढ़े छः करोड़ बेकार लोगों को नौकरी देने के वास्ते कोई कार्यक्रम है? क्या हो गया है कि वह इस तरह से आरती उतारते हैं और कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी की सरकार समाजवाद के रास्ते पर चल रही है।

मैं कहना चाहता हूँ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ, उस के पहले भारत सरकार के हाथ में पब्लिक क्रेडिट इन्स्टिट्यूशंस का 5000 करोड़ से ऊपर खपया था। पोस्टल सेविंग्स बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक स्टेट बैंक, लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, स्टेट फार्नेस कारपोरेशन स्टेट कोआपरेटिव बैंक आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पास में 5,000 करोड़ रुपया था, तेरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले, उस का कैसे इस्तेमाल हुआ? पिछले बाइस सालों में भारत सरकार का यह रेकार्ड रहा है कि अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ 75 विंग विजिनेस हाउसेज की सृष्टि की और अब उनकी पुत्री उन की आरती उतार रही है। बैंक के राष्ट्रीयकरण से पहले जो 5,530 करोड़ रु० की धनराशि थी, जिस को व्यवसायों को सस्ती दर पर सूद देने के लिये सरकार को वितरित करना चाहिये था, उस को सब बड़े लोगों को, मफतलाल, टाटा, बिड़ला आदि को कर्जा देने में इस्तेमाल किया गया है। बैंकों के राष्ट्रीय-

[श्री रवि राय]

करण के बाद हिन्दुस्तान में किसी भी साधारण ने आदमी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा नहीं किया है। उन की बिजली कर्जा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अभी श्री त्रिगुण सेन यहां बैठे हैं। जब के साथ हमारी बात होती है तो वे कहते हैं कि विदेशी पूंजीपतियों को, और विदेशी तेल कम्पनियों का हिन्दुस्तान की सरकार पर इतना प्रभाव है कि वह राष्ट्रीयकरण जैसी चीज कर नहीं पाती है। वह हो नहीं पायेगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि पक्षपात किया गया है। वह पक्षपात क्या है? वह यह विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। हम लोग बैंकों का सरकारीकरण नहीं चाहते थे हम लोग सही मानों में राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। क्या रेलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ? रेल को राष्ट्रीयकरण करने के बाद आप देख रहे हैं कि तीन दिन पहले श्री नन्दा का आशीर्वाद यह मिला कि तीसरे दर्जे का किराया बढ़ गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, उन का सरकारीकरण किया गया है। उस में पूंजीपति तो गये लेकिन नौकर शाह आ गये। कर्जों की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, उस के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। सिर्फ उन का मुआवजा बढ़ा दिया गया।

इस सदन में जब बैंक राष्ट्रीयकरण की बात आई तो हम उस को जनता के माफिक बनाना चाहते थे तरमीम कर के। लेकिन इसी सदन में स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिल कर बैंक राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में हम लोगों के जितने संशोधन थे उन सब को गिरा दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि आगे चल कर इन दोनों में दोस्ती हो जायेगी क्योंकि सरकार यह तय कर के बैठी है कि बैंकों को, पूंजीपतियों को ज्यादा मुआवजा दिया जायेगा। एक तरफ

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो मुआवजा देना था उस से ज्यादा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी का जो रूप था उस को सन्तुष्ट कर दिया। हम लोग जो सच्चा राष्ट्रीयकरण चाहते थे उन की इच्छा थी कि मुआवजा घटे और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, लेकिन उस को सरकार ने नहीं किया। तब किस माने में सरकार कहती है कि हम लोग सही माने में राष्ट्रीयकरण चाहते हैं और समाजवाद के रास्ते पर जाना चाहते हैं?

जब कांग्रेस एक थी उस जमाने की बात आप को बतलाना चाहता हूँ कि बिड़ला के जो बैंक हैं यूनाइटेड कर्मांश बैंक और गीयनका जैनके बैंक पंजाब नेशनल बैंक उन के द्वारा पिछले मध्यावधि चुनाव में आरू इंडिया कांग्रेस कमेटी को 25 लाख ६० का कर्जा दिया गया था। इस सदन में हम ने श्री मधु लिये ने उस को उठाया था। क्या कांग्रेस कोई किसान है कि उस को यूनाइटेड कामशॉल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के जरिये से 25 लाख ६० का कर्जा दिया गया? मैं यह सब उदाहरण इस लिये दे रहा हूँ कि इस सरकार की नीयत खराब है। यह लोग समाजवाद को अपनाता नहीं चाहते।

मेरा कहना यह है कि अगर सरकार सच-मुच समाजवाद अपनाता चाहती है तो वह सोचे कि आज जन आन्दोलन हो रहा है जैसा हमारा संविधान है उस के कारण हिन्दुस्तान में कोई भी आमूल परिवर्तन समाज में नहीं हो पायेगा, कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हो पायेगा। हम लोग चाहते हैं कि कोई नई संविधान सभा बुलाई जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि यह विल्सन साहब की हिम्मत थी कि सबा लाख लोगों के वोट लेने के लिये उन्होंने वालिग होने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन की यह हिम्मत थी कि उन्होंने कांग्रेस को मेसेज भेजा कि हमारे नवयुवकों को जिम्मेदार बनाने के लिये उन की बालिगी की उम्र 18 साल कर दी जाय। जब

हम नई संविधान सभा की मांग कर रहे हैं तब हम चाहते हैं कि आज हिन्दुस्तान के संविधान में जो 21 साल की आयु रखी गई है उस को घटा कर वालिगों के वोट के लिये 18 साल कर दिया जाय। दुनिया में सब से रुढ़िवादी देश इंग्लिस्तान है। जब वहाँ कर दिया गया तो फिर आप यहाँ के चार करोड़ नवयुवकों और नवयुवतियों को क्यों राजनीति के मैदान में नहीं लाना चाहते? अगर आप उन को राजनीति के मैदान में लायें तो हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रीय क्रान्तिकरण हो सकता है। इस को क्यों नहीं मानती हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी जब वह नवयुवतियों और नवयुवकों की नेत्री हैं। इस में कोई पैसा खर्च नहीं होता। चार करोड़ नवयुवतियों और नवयुवकों को अनाधिकार देने के लिये आयु 21 साल से घटा कर 18 साल कर दी। 18 साल के ऊपर के जितने भी वालिग लोग हैं उन के वोट से एक नई संविधान सभा का गठन हो। वह संविधान सभा देश के करोड़ों गरीबों के लिये एक नया संविधान देगी।

अगर आप को यह पसन्द नहीं है तो मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूँ कि जो मौजूदा संविधान है उस में परिवर्तन करो। जो मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर है उस से सम्पत्ति के अधिकार को हटाओ। इस को फौरन किया जाना चाहिये लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस का कोई उल्लेख नहीं है कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा कर अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिये, खाने पीने के लिये, काम देने के लिये तुम इन को डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख दो। मेरी मांग है कि संविधान के मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है उस से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को खत्म करो उस को ला कर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल सकते हो लेकिन सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिये। सारी दुनिया के

जो जज लोग होते हैं जब शहरी आजादी का सवाल आता है, जब फ्रीडम आफ स्पीच का सवाल आता है, संगठन बनाने की बात आती है तो उस में रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रेटेशन करते हैं, लेकिन जब सम्पत्ति की बात आती है तो लिबरल बन जाते हैं। सारी दुनिया के जजों की यही मनः स्थिति है। मैं हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने बड़े जज लोग हैं उन का सम्पत्ति के लिये प्रेम होता है। उसको मान कर चलना पड़ेगा। आप अभी लाएँ इस तरह का बिल और हम लोग उसको अपना समर्थन देंगे। जो मौलिक अधिकार हैं उनको तो आप कायम रखें लेकिन जो सम्पत्ति के अधिकार हैं, उनको आप हटा दें ताकि सरकार जब चाहे राष्ट्रीयकरण करने की खातिर सम्पत्ति को ले सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वह नहीं चाहती है कि कोई मौलिक या बुनियादी परिवर्तन इस देश में हो। यह सरकार केवल ढोंग रचती है। इसका समाजवाद ढोंग पर आधारित है, नकली है, निरर्थक है।

बम्बई से प्रधान मंत्री लौट कर आईं। एक जनवरी अंग्रेजों का नव वर्ष दिवस होता है। उस दिन उसने उपहार किस को दिये। उनको कोई उपहार उसने नहीं दिया जो बेघर हैं और जिन की संख्या साढ़े आठ करोड़ है, उनको नहीं दिया जो निरक्षर हैं और जिन की संख्या 32 करोड़ है, उनको नहीं दिया जो बेरोजगार हैं और जिन की संख्या चार करोड़ है। उपहार उन्होंने दिये तीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को। टाटा को तथा विरेन मुकर्जी को इस्पात की कीमतें बढ़ा कर उसने करोड़ों का फायदा पहुंचाया। रेलों का उसने किराया बढ़ा दिया और गरीब आदमियों पर बोझ डाल दिया। दूसरे उसने फायदा पहुंचाया घनश्याम दास बिड़ला

[श्री रवि राय]

को फटिलाइजर फैक्ट्री का लाइसेंस दे कर, 56 करोड़ का लाइसेंस दे कर और वह भी दत्त कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध जा कर। जब इंदिरा गांधी जी ने देखा कि दो स्वदेशी पूंजी-पतियों को तो लाभ पहुंच गया है लेकिन किसी विदेशी पूंजीपति को लाभ नहीं पहुंचा है तो उन्होंने लिबर ब्रदर्स को जो कि वनस्पति के मैनु-फैक्चर का 33 प्रतिशत कंट्रोल करते हैं, पच्चीस पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा कर करोड़ों का फायदा पहुंचाया। क्या ये ही लोग हैं जो भारत की सेवा कर रहे हैं ?

मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन में जो समाजवाद पर विश्वास करते हैं, उनको इस सरकार का तनिक भर भी समर्थन नहीं करना चाहिये। यह सरकार समाजवाद के साथ विश्वासघात कर रही है। देश को धोखा दे रही है। मेरी राय में यह सरकार समाजवाद लाने के रास्ते में सब से बड़ी रुकावट है, एक भारी पत्थर की तरह से रास्ते में खड़ी है। यह कहा जाता है कि इस सरकार को गिराने कि जो नीति है वह नकारात्मक नीति है। वह नकारात्मक नीति नहीं है। भारत के दर्शन का सार है, नेति नेति। इसका अर्थ है कि जब इस सरकार को हटा दिया जाएगा और उसके साथ जो विकल्प बनेगा, वही असली विकल्प होगा और वह समाजवादी विकल्प होगा, सही अर्थों में समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। यह सरकार समाजवादी कार्यक्रमों के विरुद्ध जा रही है, पूंजीवाद को मजबूत कर रही है। मुझे स्मरण है वह दिन जिस दिन मेरे प्रस्ताव पर जोकि राज्यों के प्रिवी पसिस के बारे में था, वहां ठहरी हुई थी और सरकार द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया था और तब स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गए थे, भाई बहन हो गये थे। मिल कर

उन्होंने मेरे प्रस्ताव को गिरा दिया था। उस दिन को मैं नहीं भूला हूँ।

हम लोग जो हमारी नीति है उस पर अडिग हैं। इस सरकार को कोई भी समाजवादी भाई बरदास्त नहीं कर सकता है और न ही उसको करना चाहिए। यह सरकार समाजवाद के रास्ते में रुकावट बन कर एक रोड़ा बनकर खड़ी है। इसके स्थान पर एक समाजवादी सरकार की हमको स्थापना करनी होगी, यही इसका एक मात्र विकल्प है। किसी दल का चेहरा देख कर उसको समर्थन देने का कोई सवाल नहीं है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ बुनियादी कार्यक्रम हैं, समाजवादी कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों के आघार पर जो भी दल हमको समर्थन देने के लिए तैयार होगा, उसका समर्थन हम लेना चाहेंगे। कांग्रेस के अन्दर दक्षिण पन्थ और वाम पन्थ हैं। इसका हम कभी विश्लेषण नहीं करते हैं। जो ध्रुवीकरण हुआ है, इसको हम नहीं मानते हैं। हमारे जो समाजवादी कार्यक्रम हैं उनको जो कोई भी समर्थन देना चाहते हैं, उनका समर्थन हम लेंगे। समाजवादी कार्यक्रम हमारे लिए ध्रुव तारे के समान हैं और ध्रुव तारे का काम करेंगे। इस सरकार के समाप्त होने के बाद जो विकल्प निकलेगा वह समाजवादी कार्यक्रमवाद होगा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का यही कार्यक्रम है। उसमें सिंडीकेट, स्वतंत्र, जनसंघ आदि का कोई सवाल नहीं है।

भारत की 55 करोड़ गरीब जनता देख रही है कि यह सरकार पूंजीवाद और सामन्तवाद को मजबूत कर रही है। इस वास्ते हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम इस सरकार को आमूलचूल खत्म करें और इसके स्थान पर समाजवादी सरकार की स्थापना करें। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय में बहुत दुखी हूँ, इसको बताते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं ही नहीं हरियाणा का प्रत्येक भाई बहुत दुखी है, खुदार, भाई, तकड़ा भाई, देशभक्त भाई, वह भाई जो देश की खातिर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अपने खून के आंसू बहा रहा है। लेकिन वह बेवस है कुछ कर नहीं सकता है।

श्री म० ल० सौधी (नई दिल्ली) : आपने तिब्बत को गुलाम होने दिया, क्या इस वास्ते रो रहे हैं।

SHRI RANDHIR SINGH : How are you speaking out of context ? I am talking something about Haryana and you are talking about Tibet.

असल में जो कुछ हुआ है, उसमें इन लोगों का ज्यादातर हाथ था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अपोजीशन का जो रोल रहा है हरियाणा के आदमी कभी उसको माफ नहीं करेंगे, यह बात मैं खुले बन्दों कहना चाहता हूँ। आज भी वाजपेयी जी ने कहा कि हमने नहले पर दड़ला लगाया। आज भी पोलिटिकल सोदेवाजी करते हैं, हमारे जजवात से खेलते हैं। आज से पहले इनके जो लीडर हैं जनसंघ के श्री यज्ञदत्त शर्मा उन्होंने कहा था कि अगर ब्रह्मा भी जमीन पर उतर आए तो भी चंडीगढ़ पंजाब को नहीं जा सकता। श्री बलराज मधोक जोर से और पूरी ताकत से बोलते हैं फाजिल्का पंजाब का है, कोई इसको उसकी तरफ से हटा नहीं सकता है। ये वाजू मेरे भ्रजन!ए हुर हैं। जितने मन उतनी ही बातें ये लोग करते हैं। चंडीगढ़ में जा कर कहते हैं कि वड़ इसी तरह से रहें। पंजाब में जाकर कइते हैं कि कइई हम फाजिल्का हरियाणा को नहीं देंगे, हम चंडीगढ़ भी नहीं देंगे, फाजिल्का भी नहीं देंगे और हरियाणा में आकर ये लोग आंसू बहाते हैं। इन्होंने मरवा

दिया यहाँ गरीब आदमियों को। ये वे लोग हैं जिन्होंने लोगों के घर जलवाये हैं.....

SHRI M. L. SOHDHI : Can we allow such exaggerated statements without any substantiation ? They are slander. And he claims to speak in favour of national unity !

श्री रणधीरसिंह : ये वे लोग हैं जिन्होंने हजारों आदमियों को जेल में बंद करवा दिया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे नोजवान बच्चों को, स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले बच्चों को बहकाकर इन्होंने जेल में डलवा दिया है...

SHRI M. L. SONDHI : Now he is slandering the children of India.

श्री रणधीर सिंह : हजारों की तादाद में इन्होंने उनके साथ अपना खेल खेला है। दर्जनों आदमियों को इन्होंने गोली का निशाना बनवाया है। जब हम चंडीगढ़ को लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग नजदीक नहीं लगते थे। ये जनसंघी भाई ही नहीं और भी भाई हैं। डा राम सुभगसिंह बड़े वहादुर बनते हैं। जमीं जुम्बद, न जुम्बद गुल मुहम्मद। बड़ी भारी इनकी देश भक्ति है। बहुत बड़ चढ़ कर हरियाणा की बात ये करते हैं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों के विहेवियर पर। आज से पहले इन लोगों ने कहा था, डा० राम सुभगसिंह ने कहा था कि आप श्री गुरनार्मसिंह को कह दो जाकर, इन्दिरा गांधी को कह दो जाकर कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं प्रधान मंत्री के पास जाता हूँ और जाकर कहता हूँ कि डा० राम सुभग सिंह हरियाणा के के साथ हैं तो हमें ताना मिलता है कि क्या कह रहे हो वह तो इधर भी दस्तखत कर देंगे और ओर उधर भी कर देंगे आज भी उनकी बात मैं करता हूँ। इन्होंने एक बार नहीं छः बार कहा है कि लैंट दी प्राइम मिनिस्टर प्ले हर काईस।

[श्री रणधीर सिंह]

ये डा० राम सुभग सिंह के अलफ्राज हैं। डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अपने कार्डेज प्ले करने दो। इससे पता चलता है कि हरियाणा और उस के किसानों के साथ प्ले करना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहना है, वह सीधे तौर पर कहें। वह जा कर रोहतक की मंडी में भाषण देते हैं कि हम तुम को चंडीगढ़ दिलवायेंगे, हम तुम्हें फ्राज़िल्का दिलवायेंगे। हमें उनका कोई एतवार नहीं है। अब्ल दज्जे के बेईमान इन्सान है। इन लोगों ने हरियाणा के साथ खेला है।

28 तारीख को फ़ैसला होना था। 26 तारीख को स्वतंत्र पार्टी के लीडर, श्री मसानी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा फ़ैसला क्यों नहीं करतीं, रागत फ़तेहसिंह को चंडीगढ़ क्यों नहीं देती। उधर से बड़े अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण दे कर शराफ़त का नाज़ायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग धोखेबाज़ हैं—गंगा गये तो गंगादास, जमुना गये तो जमुनादास। हरियाणा का एक-एक आदमी इनको समझता है कि जनसंघ ने बेईमानी की है, हरियाणा की बेइश्जती की है, इन की बजह से हरियाणा की नाक कटी है। हरियाणा का एक-एक आदमी जानता है कि डा० राम सुभगसिंह ने धोखा किया है हरियाणा के साथ उन लोगों की जो बेइश्जती हुई है, उसमें ज्यादा हिस्सा डा० राम सुभगसिंह का है।

चलो, उनका क्या। बड़ा भारी उनका हिस्सा है। वे भी अपनी सोदेबाज़ी करते थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का हरियाणा से कोई एम० एल० ए० नहीं, कोई एम० पी० नहीं, कोई यूनिट नहीं, कोई एक्टिव वर्कर नहीं, कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। वे सोदेबाज़ी पंजाब से करे। वहाँ तो उनके कुछ एम० एल० ए० भी हैं और उनकी पोलिव्यूरो के मेम्बर भी हैं। वे उनके साथ सोदेबाज़ी करें। उन्होंने भी सोदेबाज़ी की है और बड़ी ज्यादाती की है। हर-

याणा उनको बहसोगा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का रोल अब्ल दज्जे का सोदेबाज़ी का रोल रहा है। (व्यवधान) ये लोग फ्राज़िल्का की बात करते हैं। हम इन लोगों पर कोई एतवार नहीं करते हैं। ये अब बेईमान निकले और आगे भी बेईमान निकलेंगे। हरियाणा के लोग इनको जानते हैं।

ये लोग बातें करते थे कि हम तुम्हें दिल्ली दिलवायेंगे। ये बाज़ू आजमाये हुए हैं। हम इन लोगों को समझते हैं। ये हमें क्या दिल्ली दिलवायेंगे! ये तो हमें मरवाना चाहते थे। इनकी वह बात आउट हो गई है।

मैं शावास देता हूँ वी० के० डी० को, श्री टी० विद्वनाथन को और श्री एन० सी० चटर्जी को। इन लोगों ने जमीर की आवाज़ पर कहा कि हरियाणा के साथ ज्यादातियाँ नहीं होनी चाहिए। अपने बुचुर्ग दोस्त, श्री जोशी, के बारे में मेरे दिल में अब भी बहुत अकीदत है। वह क्यों बहके? उन का कहना है कि हमें केस पूरी तरह से समझाया नहीं गया। क्या सूरज को रोशनी दिया दिखाये? इतना सयाना पुराना, आजमूदा, जरनल सोशलिस्ट मूवमेंट का, फिर भी वह उन लोगों के बहकाये में आ गया। वह आखिर तक तो नहीं गया, लेकिन बहकावे में आ गया।

पी० एस० पी० वाले भी पांच घुड़सवारों में शामिल हो गये। हरियाणा में उन का नामो-निशान नहीं लेकिन हरियाणा के एक करोड़ आदमियों से उनकी क्या दुश्मनी है। हम उनके भाई हैं। हमारे दिल में सोशलिज्म के लिए बड़ी हमदर्दी और ईञ्जत है।

मैं आपके मार्फ़त हाउस को कहना चाहता हूँ कि यह तो दो भाइयों में झगड़ा था। यह पंजाब और हरियाणा का झगड़ा नहीं था। यह हिन्दू-सिख का झगड़ा नहीं था। यह तो दो भाइयों में जायदाव की बाँट थी। जिस को

कम मिला, उसी की तरफ से शिकायत की गई। उधर से लोग अच्छा-अच्छा पानी ले गये, सारा हाजाना ले गये, सड़कें ले गये, सारी नौकरियां उधर के लोगों को मिलती रहीं। अभी मेरे भाई ने तेलंगाना के बारे में कहा। तेलंगाना में सैकड़ों सालों से जो हालत थी, हरियाणा में अब भी वही हालत है। (व्यवधान)

पिछले सौ साल की हिस्ट्री में हरियाणा का कोई आदमी चीफ़ मिनिस्टर, वाइस-चांसलर, हाई कोर्ट का जज, पब्लिक सविस कमीशन का चेयरमैन या मेम्बर या हैड आफ़ दि डिपार्टमेंट नहीं बन पाया। (व्यवधान) इन सौ सालों के तजुबों के बाद हम ने यह महसूस किया कि इस भाई के साथ क्या रहना, यह तो हमें खा कर रहेगा। बात तय हो गई और दोनों अलग-अलग हो गए। हिन्दी-स्पीकिंग और पंजाबी-स्पीकिंग इलाकों की तबसीम होनी थी। एक कमीशन बना शाह कमीशन। हमारे भाई देखेंगे की महाजन कमीशन और शाह कमीशन में कैसे फर्क होता है। मुझे महाराष्ट्र से कोई नफ़रत नहीं है और मैंसूर के साथ कोई लगाव नहीं है लेकिन इन्साफ़ इन्साफ़ है। अब इन्साफ़ तुलेगा। अब हम आपोजीशन वालों को भी देखेंगे। हमारे साथ तो ज्यादानी की गई, हरियाणा के साथ गद्दारी की गई, हमारे साथ शो-दे बाजी की गई। उस को भी देखना है। अब ये मराठों के हाथों में आये हैं; हमारे हाथों से तो निकल गये। मराठे इनको बल्लेगे नहीं।

हमारे साथ बेइन्साफी क्यों हुई? मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे साथ बेइन्साफी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, बल्कि 325 आपोजीशन को मुल्लतलफ़ पाटियों के और इंडिपेंडेंट मेम्बरजं ने की। मैं वरसरेइजलास कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बदौलत हमें फ़ाञ्जिल्का मिल गया, वरना ये लोग हमें फ़ाञ्जिल्का भी नहीं लेने देते। प्राइम मिनिस्टर हमको चंडीगढ़

देना चाहती थीं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। आखिर प्राइम मिनिस्टर क्या करती? 200 एम० पी० इधर के और 325 एम० पी० खिलाफ़ ये जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एस० एस० पी०, पी० एस० पी०, मुस्लिम लीग, अकाली पार्टी और इंडिपेंडेंट सब खिलाफ़ थे। सिर्फ़ वी० के० डी० के पाँच दस मेम्बर हूसारे साथ थे। उन लोगों के मुकाबले में बेचारी प्राइम मिनिस्टर क्या करती? चंडीगढ़ हमको मिल भी जाता, लेकिन अगर यह सोशलिस्ट हुकूमत डिक्रीट हो जाती, तो हम क्या करते?

मैं कहना चाहता हूँ कि बार-बार यह बुह-तान लगाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हरियाणा को चंडीगढ़ नहीं देना चाहतीं। ये लोग जाकर शीशे में मुँह तो देखें। ये बेईमान लोग हैं। ये खुद बेईमान हैं और दूसरों को भी बेईमान समझते हैं। हरियाणा के साथ सब लोगों ने गद्दारी की है। रणधीर सिंह काग्रेसी के साथ ही नहीं, बल्कि हरियाणा के एक करोड़ किसान-मजदूरों के साथ ज्यादाती की गई है। वक्त आयेगा, जब आपोजीशन इनको बतायेगी। कम्युनिस्ट पार्टी तो हरियाणा में पैदा नहीं हो सकती है। हम जनसंघ का ऐसा इलाज बाधेंगे कि उनके पड़पोते भी याद रखेंगे—ये वहाँ जा कर कदम तो रखें! हमारे साथ ज्यादाती हुई है। हम उस को कला-कमा करना चाहते हैं। हमने देखा है कि वह कैसे हो। (व्यवधान)

तबसीम हिन्दी-स्पीकिंग और पंजाबी-स्पीकिंग के वेसिस पर हुई थी। चंडीगढ़ 73 फ़ी-सदी हिन्दी-स्पीकिंग है और पंजाबी-स्पीकिंग सिर्फ़ 27 फ़ीसदी है। चंडीगढ़ जिन 55 गांवों पर बना, वे अम्बाला जिले की कालका तहसील के हैं।

एक माननीय सदस्य : शालत ।

श्री रणधीर सिंह : वे 55 के 55 गाँव हिन्दी-स्पीकिंग हैं, 85, 90 फ्रीसदी हिन्दी-स्पीकिंग हैं ।

जिस वक्त 1953 में चंडीगढ़ बना, उस वक्त पंजाब का हिन्दी-स्पीकिंग एरिया 73 फ्रीसदी था । तेरह जिलों में से साढ़े सात जिले हिन्दी-स्पीकिंग थे । चौबीस हजार मुरब्बा मील जमीन हिन्दी-स्पीकिंग लोगों की थी ।

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन । ये गलत वोट कर रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह : रुपया कहाँ से आया ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 32 करोड़ रुपया दिया । जब वह शहर बनने लगा, तो उस में 11,555 प्लॉट थे, जिनमें से 2498 पंजाबी-स्पीकिंग एरिया के और बाकी साढ़े नौ, साढ़े नौ हजार प्लॉट हिन्दी-स्पीकिंग एरिया के थे ।

मैं अर्ज कर रहा था आप से कि सारा जितना प्लॉट है वह 80 परसेंट हमारे हिन्दी-स्पीकिंग लोगों का है । स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं वह सारे हिन्दी में पढ़ते हैं । 80 परसेंट मिडिल में पढ़ने वाले बच्चे हिन्दी में इम्तहान देते हैं । 85 परसेंट मैट्रिक के बच्चे हिन्दी में इम्तहान देते हैं । 90 परसेंट कालेज में पढ़ने वाले बच्चे हिन्दी में इम्तहान देते हैं । जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है 80 से 90 परसेंट हिन्दी, जहाँ तक रहने बालों का सवाल है 73 परसेंट हिन्दी और जहाँ तक प्लॉट का सवाल है 80 से 90 परसेंट प्लॉट हिन्दी-स्पीकिंग के हैं । वहाँ बसे वह 100 परसेंट गाँव हिन्दी के । फिर एलैक्शन हुआ । मेरे भाई गोयल आए जमानत जन्त करा कर इन अकाली भाइयों की । श्री चंद गोयल ने अकाली उम्मीदवार की जमानत जन्त कराई । 85 परसेंट वोट ले गए इस बात पर कि चंडीगढ़ पंजाब में नहीं जायगा और इसी बात पर गोयल जीत कर आए । शाह

कमीशन का फैसला हुआ, वह हमारे हक में । सुप्रीम कोर्ट का सीनियरमोस्ट जज जो हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में एक मशहूर जज है इम्पाशियलिटी, इन्टेग्रिटी और इंटेलिक्चुअल कैरियर के हिसाब से, उस ने फैसला हमारे हक में दिया । गोयल का फैसला हमारे हक में, पापुलर पोल हमारे हक में, जो प्रिंसिपल है कि हिन्दी स्पीकिंग एरिया है चंडीगढ़ हमारे हक में तो साहब, फिर क्यों गया चंडीगढ़ पंजाब को ? पौलिटिकल डेसीशन होने के कारण और यह प्राइम मिनिस्टर हमें देना चाहती थी चंडीगढ़ लेकिन यह इन लोगों की बदौलत हुआ जो आपोजीशन में बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा आप चंडीगढ़ चले जायें, आंसू आ जायेंगे जोशी जी की आँखों में । मैं गया था दस दिन पहले, रहा नहीं गया मेरे से । एक हजार करोड़ रुपयों की जायजाद और चूस गए वह आदमी जिनका एक पैसे का हक नहीं है । 2 हजार करोड़ रुपया पूरा, खरड़ का सब-डिवीजन 60 परसेंट हिन्दी स्पीकिंग ले गए तीन साल पहले । कौन बर्दाश्त करेगा इस बात की ? और वह लोग जिनके एक करोड़ हरयाने के वहादुर सिपाही त्रिनके हाथ में श्रव भी बन्दूक है और जो नेफा और लद्दाख में खड़े हैं । क्या समझेंगे वह लोग कि यह पालियामेंट क्या करती है उन के साथ ? ताकत रहेगी उनके हाथ में दुश्मन के साथ लड़ने की जब वह यह देखेंगे कि इन्साफ नहीं मिलता, उनके बाप की, उनके भाई की, उनकी बहन को और एक दो पैसे की या सैकड़ों, हजारों और लाखों बात नहीं है, 3 हजार करोड़ रुपया यह चट कर गए, इनके दवाब की बदौलत ।

मुझे तो अफसोस इसी बात का है कि मेरे मकान को आग लगाते, लेकिन 28 तारीख से पहले 27 या 26 को लगाते, मैं बड़ा खुश होता और साथ मुझे भी जला देते, इस से बढ़िया मोत क्या होती ? कम से कम अपने मुँह से इस हाउस में खड़े हो कर इसे बर्दाश्त तो नहीं

करता। मैं नहीं रोता हूँ, मेरा एक करोड़ हर-याने का भाई रोता है। मेरे नोजवान तालिव-इल्म जो आज हम पर कांफिडेंस नहीं रखते, वह कैसे रखें जब हमारी चलती नहीं है। यह लोग बैठे हैं जो चलने नहीं देते। मैं समझ सकता था, पार्लियामेंट में यह चीज आती और मेरे भाई राय से इस को तय करते। लेकिन यह लोग दबाव डालते हैं। यह डी० एम० के० की बदमाशी है, कम्यूनिस्ट पार्टी की बदमाशी है। प्राइम मिनिस्टर बेचारी करे क्या? एक बहा-दुर औरत पूरी बहादुर औरत है लेकिन ये बेई-मान, ये सियासो तौर पर बेईमान लोग उसकों करने नहीं देते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाउस के सामने यह मामला आ जाता और वैंलट हो जाता, डिबेट होती, उधर से गुरनाम सिंह आ जाते, वह अपनी बात कहते, उधर से मैं अपनी बात कहता, तफ़रीरें होती और फिर अगर चंडीगढ़ पंजाब को देते तो मैं खुश होता। ग्राखिर पंजाबो हमारे भाई हैं। सिख हमारे बहादुर भाई हैं, हमें नाज है उन पर। अब भी चंडीगढ़ उधर गया तो कई ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन यह एक खुद-दारी है एक स्टेट की खुददारी को आपने तह-सनहस कर डाला है। हमारा ह्युमिलिएशन किया है। अगर इंसाफ की बात होती तो मैं मान लेता। लेकिन जोशी जी, आप की पार्टी और दूसरी पार्टीज ने इंसाफ नहीं रहने दिया। हमारी शिकायत है कि हरयाने के साथ इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया और आगे भी इंसाफ नहीं होगा। आगे भी यह लोग बहुत होशियार हैं यह अपने भाई तामिलनाडु के जो हैं, अभी से गुरनाम सिंह इन के तलुए मसल रहा है। जीफ मिनिस्टर इनके तलुए मसलमा है। अरे, जब तक यह लोग बैठे हैं हरयाने को उस वक्त तक इन्साफ नहीं मिलेगा। हरयाने को तब तक इन्साफ नहीं मिलेगा जब तक यह आपोजीशन वाले बैठे रहेंगे।

मैं खत्म करता हूँ आखीरी बात कह कर कि खरड़ हिन्दी स्पीकिंग है। चंडीगढ़ हिन्दी स्पीकिंग है, फाजिल्का हिन्दी स्पीकिंग है। हिन्दी स्पीकिंग जब आप का प्रिसोपल है कि हिन्दी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग का झगड़ा जो है वह कमीशन को देंगे तो कमीशन को दे दो। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप ने शाह कमीशन को नहीं माना, कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट का दिमाग शाह कमीशन से ज्यादा बढ़िया दिमाग है। मैं नहीं मानता कि शाह कमीशन ने बैठ कर फंसला नहीं किया। शाह कमीशन ने बैठ कर फंसला किया। लेकिन एक जज के फंसले को जज बैठ कर रिव्यू करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या पार्लियामेंट या कोई पार्टी यह नहीं करती है। मेरा यही कहना है कि फाजिल्का का का कब्जा फौरन दिलवाओ क्योंकि हिन्दी स्पीकिंग है। साथ-साथ चंडीगढ़ को और खरड़ को दोनों को आप बाउन्ड्री कमिशन को दे दो ताकि बांख खुल जाय मेरे इन भाइयों की कि हिन्दी स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है। अगर पंजाबी भाई कहते हैं कि पंजाबी स्पीकिंग है तो दे दो कमीशन को, वह फंसला करेंगे, डरते क्यों हैं? और मेरा यह कहना है कि कमीशन छोटा मोटा नहीं, कमीशन भी मुध्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच का हो, कम से कम सात या चार जजों का हो, उस के जिम्मे आप सौपो, चंडीगढ़ को भी दो और खरड़ को भी दो, साथ-साथ फाजिल्का को भी दे दो। अभी क्या समझते हो, 73 फीसदी अमृतसर हिन्दी स्पीकिंग है, 65 प्रतिशत लुधियाना और जालन्धर हिन्दी स्पी-किंग हैं, होशियारपुर 60 प्रतिशत हिन्दी स्पी-किंग है, ऊना तहसील होशियारपुर की, 60 प्रतिशत हिन्दी स्पीकिंग है, सारा पंजाब ही देना पड़ेगा, आप समझते क्या हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंसाफ करो, इंसाफ दो। कोई बात मैं जोश में नहीं कहना चाहता। लेकिन चूंकि हमारे साथ ज्यादाती हुई है, आप को

[श्री रणधीर सिंह]

नहीं कहें तो किसकी कहें ? आखीर में यही कहकर खत्म करता हूँ कि ज्यादाती हुई और इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादाती की ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may continue tomorrow.

18.08 hrs.

SHRI HEM BARUA (Mangaldal) : I have gone through the Address of the President to the joint session of Parliament with due respect.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, February 27, 1970/Phalguna 8, 1891 (Saka).